सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मान्य निर्यात फिरती योजना एवं ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी यूनिटों को केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति

संघ सरकार

राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क

2013 की संख्या 8

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

मान्य निर्यात फिरती योजना

एवं

ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी यूनिटों को केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति

13 अगस्त AUG 2013 *को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत*

संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)
2013 की सं. 8

विषय सूची

विषय सूची	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
कार्यकारी सार	iii
सिफारिशें	vii
मान्य निर्यात फिरती योजना	
अध्याय 1: प्रस्तावना	1
अध्याय 2: आन्तरिक नियंत्रण पद्धति तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली	5
अध्याय 3: लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं सिफारिशें	9
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों को केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति	
अध्याय 1: प्रस्तावना	31
अध्याय 2: लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं सिफारिशें	34
अनुबन्ध	45

प्राक्कथन

"डीम्ड निर्यात फिरती योजना" तथा "ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों को केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति" पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं के परिणामों से निहित मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों-अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में शामिल की गई आपत्तियां वर्ष 2012-13 के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर आधारित थी।

कार्यकारी सार

1. इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं-"एक मान्य निर्यात फिरती योजना" और दूसरी "ईओयू[1]/एसटीपी[2]/ईएचटीपी[3] इकाईयों को केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति" के परिणाम निहित हैं। दोनों ही निर्यात प्रोत्साहन उपाय वाणिज्य विभाग (डीओसी) द्वारा संचालित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 (एफटीडीएण्डआर, अधिनियम), के अन्तर्गत विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अध्याय आठ और छः के अनुसार किए गए हैं।

मान्य निर्यात फिरती योजना

2. डीओसी का यह कर्तव्य है कि वह 2014 तक भारत के निर्यात माल और सेवाओं को दुगुना करने तथा 2020 तक वैश्विक व्यापार में भारत के हिस्से को दुगुना करने की दृष्टि से व्यापार की त्वरित वृद्धि के लिए समर्थकारी माहौल के सृजन को सुगम बनाए। हर पांच वर्ष में घोषित तथा महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा कार्यान्वित एफटीपी, भारतीय निर्यात तथा आयात को विशिष्ट रणनीति में परिवर्तित करने के लिए मौलिक नीति ढांचा उपलब्ध कराती है। एफटीपी में विभिन्न शुल्क निराकरण योजनाएं जैसे अग्रिम अनुमोदन, शुल्क-मुक्त आयात अनुमोदन (डीएफआईए), शुल्क हकदारी पासबुक (डीईपीबी), मान्य निर्यात शुल्क फिरती (डीबीके) तथा टर्मिनल उत्पाद शुल्क (टीईडी) प्रतिदाय, निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) तथा अन्य प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं।

3. राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (एफआरबीएम) के अनुसरण में, सरकार ने प्राप्ति बजट 2006-07 से केन्द्रीय कर प्रणाली शुल्क के अन्तर्गत प्रमुख कर व्यय के अनुमान दिखाना शुरू किया। संघ सरकार की बजट प्राप्तियों में केन्द्रीय कर प्रणाली के अन्तर्गत छोड़े गए राजस्व के विवरण फिरती छूट तथा मान्य निर्यात फिरती को नहीं दर्शाते। वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 तक चार वर्ष की अवधि के दौरान, ये रिआयतें (डीबीके छूटः ₹ 33,430 करोड़ ; मान्य निर्यात फिरती ; ₹ 7,679 करोड़) ₹ 2,25,284 करोड़ के कुल कर व्यय का 18 प्रतिशत थी।

4. डीओसी के परिणाम ढांचा दस्तावेज़ (आरएफडी) उद्देश्यों तथा परिणाम बजट में निर्यात सब्सिडी के लिए तद्नुरूपी बजट परिव्यय के प्रति नापने योग्य डिलिवरेबल्स का उल्लेख नहीं था। एफटीपी में भी निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के परिणाम की समीक्षा हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

5. जहां तक बजट बनाने, लेखाकरण, भुगतान तथा योजनाओं के परिणाम माप की योजनाओं का संबंध है, डीजीएफटी और डीओसी को अपनी आन्तरिक नियंत्रण पद्धति तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को मज़बूत करना चाहिए। लेखापरीक्षा में देखी गई कमज़ोरियों के कुछ क्षेत्र निम्नलिखित थे।

---

[1] निर्यातोन्मुख इकाई

[2] सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

[3] इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेचर प्रौद्योगिकी पार्क

क. प्रधान कर संग्रहण अधिकारी (डीओआर)[4] तथा मान्य निर्यात लाभ (डीओसी/डीजीएफटी) की प्रतिपूर्ति करने वाला अधिकारी अलग-अलग हैं। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं अथवा कर व्यय की प्रभावकारिता के निर्धारण हेतु इनपुट्स पर कर संग्रहण को प्रतिपूर्त मान्य निर्यात लाभ के साथ सहसंबद्ध करने का कोई तन्त्र नहीं है।

ख. एकीकृत वित्त विभाग (आईएफडी) तथा डीओसी के मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) ने योजना की कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की।

ग. डीजीएफटी की इलेक्ट्रॉनिक डाटा विनिमय (ईडीआई) प्रणाली, दावों की बेहतर मॉनीटरिंग और प्रोसेसिंग के लिए सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क विभाग के साथ दावेदारों द्वारा की गई घोषणाओं के ऑनलाईन सत्यापन हेतु आईसीईएस[5]/एसीईएस[6] के साथ पूर्णतः संबद्ध नहीं है।

घ. विशेष आर्थिक ज़ोन के विकास आयुक्त (डीसी-एसईज़ेड) तथा डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारियों (आरएज़) ने अनिवार्य अभिलेख जैसे दावा प्राप्ति रजिस्टर, चैक भुगतान रजिस्टर, ब्रांड दर पत्र रजिस्टर, मासिक तकनीकी रिपोर्टें तथा पश्च-लेखापरीक्षा रिपोर्टे- या तो बनाए ही नहीं थे या गलत बनाए थे।

6. हमने इस योजना में निम्नलिखित कमियां देखीः

क. डीजीएफटी ने इस योजना के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण पत्रों (डीएल) का अनुपालन करने के लिए आवेदक के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की थी। आवेदक, दावे अथवा उसके कालातीत होने पर लेट-कट लगाने से बचने के लिए समय-सीमा निर्धारित न होने का अनभिप्रेत लाभ उठा सकता था।

ख. मान्य निर्यात लाभ (टीईडी/ड्राबैक प्रतिदाय के मामले में) का दावा करने की पद्धति, प्रापक पर उस मामले में जहां शुल्क वास्तव में प्रापक द्वारा वहन नहीं किया गया है, कोई रोक नहीं लगाती।

ग. अवैधीकरण तथा निर्गम रिलीज आदेश (एआरओ) के प्रति आपूर्ति तथा विलम्बित भुगतान पर ब्याज का दावा करने के लिए एफटीपी तथा पॉलिसी परिपत्र के प्रावधानों में विसंगतियां हैं। इसी प्रकार, ड्राबैक/टीईडी के गलत भुगतान पर ब्याज के उद्ग्रहण हेतु पॉलिसी में कोई प्रावधान नहीं था।

घ. कुछ मामलों में डीसी-एसईज़ेड और आरएज़ ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर मान्य निर्यात लाभ संस्वीकृत किया।

ड. एफटीपी, आरएज़ और डीसी-एसईज़ेड द्वारा डीबीके की ब्रांड दर के नियतन की अनुमति देती है, जो सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर (संशोधन)

---

[4] राजस्व विभाग

[5] भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली

[6] केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सेवा कर का स्वचालन

नियमावली, 2006 के संगत नहीं है।

7. निम्नलिखित हिसाब से योजना का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण था।

क. डीसीज़ तथा आरएज़ ने परियोजनाओं के लिए आयातित माल की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकारों को डीबीके का भुगतान किया।

ख. डीजीएफटी ने गैर-मेगा बिजली परियोजनाओं को मानित निर्यात लाभ के रूप में अपात्र माल की आपूर्ति के मामलों में प्रदत्त राशि की वसूली के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की थी। आरएज़ तथा डीसीज़ ने इन मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए सक्रिय कार्रवाई नहीं की थी।

ग. आरएज़ ने टीईडी वापिस कर दी हालांकि शुल्क दावेदारों द्वारा वहन किया गया था। मान्य निर्यात लाभों की प्रतिपूर्ति अनिवार्य प्रमाणपत्र के बिना प्रतिपूर्ति की गई।

घ. परिचालनात्मक अप्रक्रिया के अन्य मामले भी थेः बीजकों पर उत्पाद-शुल्क सहित टीईडी का भुगतान; आपूर्त माल के बीजकों के साथ ईपीसीजी विवरण नहीं थे; माल की आपूर्ति का अवैधीकरण पत्र में उल्लेख नहीं किया गया; डीलरों से प्राप्त एचएसडी[7] पर टीईडी/ड्राबैक का गलत प्रतिदाय; गलत दर लगाने के कारण डीबीके/टीईडी का अधिक भुगतान।

ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों को केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति

8. एफटीपी के अध्याय छः के अनुसार ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयां, माल/सेवाओं के उत्पादन हेतु घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) से की गई खरीदों पर उनके द्वारा प्रदत्त सीएसटी की प्रतिपूर्ति की हकदार हैं।

9. एफआरबीएम के अनुसरण में, सरकार ने प्राप्ति बजट 2006-07 से केन्द्रीय कर प्रणाली के अन्तर्गत प्रमुख कर व्यय के अनुमान दर्शाने शुरू किए। प्राप्ति बजट में केन्द्रीय कर प्रणाली के अन्तर्गत छोड़े गए राजस्व की विवरणियां, विवरणी में सीएसटी को नहीं दर्शाती। वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 तक चार वर्ष की अवधि के दौरान, डीओसी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) ने इस योजना के अन्तर्गत आपूर्तिकारों को ₹1,049 करोड़ की प्रतिपूर्ति की। ब्याज के भुगतान हेतु कोई विशिष्ट लेखाशीर्ष नहीं था।

10. डीईआईटीवाई तथा डीओसी को जहां तक योजनाओं का बजट बनाने, लेखाकरण, भुगतान तथा परिणाम माप का संबंध है अपनी आन्तरिक नियंत्रण पद्धति तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाना चाहिए।

11. लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित त्रुटियां देखीः

क. डीसीज़ ने ईओयू/एसईजेड़ से खरीदे गए माल तथा आयातित माल पर सीएसटी

---

[7] हाई स्पीड डीज़ल

के प्रतिदाय किए।

ख. डीसी-एसईज़ेड ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर सीएसटी का प्रतिदाय संस्वीकृत किया।

ग. डीसी-एसईजेड़ तथा निदेशक, एसटीपीआईज़ ने निर्यात योग्य वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त माल के लिए सीएसटी का प्रतिदाय संस्वीकृत किया।

घ. डीसी-एसईज़ेड तथा निदेशक, एसटीपीआईज़ ने सीएसटी दावों के विलम्बित प्रस्तुतिकरण पर लेट कट शुल्क लागू नहीं किया।

ङ. सीएसटी की सनदी लेखाकार से समुचित प्रमाण-पत्रों के बिना ही डीसी-एसईज़ेड और निदेशक एसटीपीआईज़ द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी गई थी।

12. हम निष्पादन प्रबंधन समीक्षा हेतु प्रदत्त सूचना के विश्लेषण में डीओसी, डीजीएफटी, डीईआईटीवाई आरएज़, जोनल डीसी-एसईज़ेड तथा एसटीपीआई के नामित अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमने 21 मार्च 2012 को आयोजित एंट्री कॉन्फ्रेंस में राजस्व विभाग, डीओसी, डीजीएफटी, डीईआईटीवाई तथा एसटीपीआई के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा के उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र तथा लेखापरीक्षा प्रणाली पर चर्चा की; 24 सितम्बर 2012 तथा 31 जनवरी 2013 को ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की; तथा 8 फरवरी 2013 को एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस में निष्कर्षों और सिफारिशों पर चर्चा की। डीओसी, डीजीएफटी तथा डीईआईटीवाई द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के उत्तर रिपोर्ट में शामिल कर लिए गए हैं।

सिफारिशें

मान्य निर्यात फिरती योजना

आन्तरिक नियंत्रण पद्धति तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के संदर्भ में

(पैराग्राफ 2.1 से 2.13)

1. डीओसी की आन्तरिक नियंत्रण पद्धतियों और आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को उसके आरएफडी के उद्देश्यों के अनुसार कुशल बजटिंग, लेखांकन, भुगतान और आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए मजबूत बनाने की आवश्यकता है। बजट अनुमान, निधि आवंटन और मांग के उपयोग की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है।

योजना व्याख्या के संदर्भ में

(पैराग्राफ 3.1 से 3.15)

2. डीओसी अस्पष्टता को रोकने के लिए अपनी नीति/प्रक्रिया के समन्वय पर विचार करे।

योजना प्रशासन के संदर्भ में

(पैराग्राफ 3.16 से 3.93)

3. डीओसी ड्राबैक/टीईडी के गलत भुगतान पर ब्याज लगाने के उपयुक्त यंत्र पर विचार करे।

4. डीजीएफटी की मौजूदा ईडीआई प्रणाली को दावों पर कार्य करते समय कपट के मामलो को कम करने के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग के ईडीआई प्रणाली से जोड़े जाने की आवश्यकता है।

5. डीओसी एफटीपी में प्रावधान करने पर विचार करे कि दावेदार द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि उसके द्वारा दूसरों पर शुल्क का भार नहीं डाला गया है।

6. मान्य निर्यात योजना लागू करने से पूर्व, डीओसी को अपनी निष्पादन नीति के अनुसार, योजना की प्रभावोत्पादकता का नतीजा मूल्यांकन एवं आयात प्रतिस्थापन, करों को निष्प्रभावी करने तथा लाभर्थियों को उपार्जित वित्तीय लाभ क राजस्व आंकलन की जरूरत है।

ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों को सीएसटी की प्रतिपूर्ति

आन्तरिक नियंत्रण पद्धति तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के संदर्भ में

(पैराग्राफ 2.6 से 2.12)

1. डीईआईटीवाई और डीओसी की आंतरिक नियंत्रण कार्य विधियों तथा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को इसके आरएफडी उद्देश्यों के अनुसार कुशल बजटिंग, लेखांकन, भुगतान और आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है। बजट अनुमान, निधि आवंटन और मांग के उपयोग की गहन निगरानी की आवश्यकता है।

2. डीओसी तथा डीईआईटीवाई को विलम्बों पर किसी ब्याज के भुगतान से बचने के लिए काउंटर सहायता के साथ-साथ मध्यवर्ती उपायों के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

योजना व्याख्या और प्रशासन के संदर्भ में

(पैराग्राफ 2.13 से 2.35)

3. डीओसी और डीईआईटीवाई द्वारा प्रणाली के साथ -साथ आयातित माल पर सीएसटी के गलत प्रतिदायों को रोकने की पद्धति में अपर्याप्तता को समाप्त करने की आवश्यकता है।

4. परिशिष्ट 14-1-1 में अभ्यर्थियों द्वारा एक विशिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त प्रावधान सम्मिलित किया जाए कि प्राप्त माल वास्तव में भारत में निर्मित हुआ था और किसी ईओयू या एसईजेड इकाई से आयातित/स्रोत से नहीं लिया गया था।

5. डीईआईटीवाई को योजना के कार्यान्वयन, आयात प्रतिस्थापन, करों के निष्प्रभावन पद्धतियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली और लाभार्थियों आदि को प्राप्त वित्तीय लाभों इत्यादि से पहले किए गए अपने निष्पादन की रणनीति अथवा राजस्व प्रभाव के निर्धारण के संबंध में योजना के प्रभाव के परिणाम को आंकलन करने की आवश्यकता है।

मान्य निर्यात फिरती योजना

मान्य निर्यात फिरती योजना

अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1 वाणिज्य विभाग के कारोबार भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, विकास और प्रोन्नति शामिल है। इसे उपयुक्त व्यापार और वाणिज्य नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। निर्यात के वार्षिक लक्ष्य तय करना और निर्यात को बढ़ाने और आयातों को प्रतिस्थापित करने के लिए कार्यक्रम को लागू करने के लिए विदेश व्यापार नीति बनाने डीजीएफटी, जोकि का एक डीओसी संबद्ध कार्यालय है वह कर्ता है। एफटीपी का उद्देश्य सरल, पारदर्शी और ईडीआई संगत प्रक्रिया जोकि प्रशासक आसानी से लागू हो सके निर्धारित करके एफटी डी एण्ड आर अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करना है।

1.2 एफटीपी का प्रमुख उद्देश्य घटते निर्यातों को रोकना और इस प्रवृत्ति को परिवर्तित करना है। इसका उद्देश्य निर्यात योजनाओं का एक उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन को संभालना, हालांकि इसका संघ सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों के प्रति आयात पर लगाये गये अतिरिक्त सीमाशुल्क (सीवीडी)[8] के विश्लेषण से पता चला कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां एफवाई 01 में ₹ 72,555 करोड़ से एफवाई 11 में ₹ 1,38,372 तक 8.20 प्रतिशत की दर से बढ़ गई हैं, तद्नुसार एफवाई 01 में ₹ 16,582 से एफवाई 11 में ₹ 51,065 करोड़ तक 18.9 प्रतिशत की दर से बढ़ गई है जैसा कि अनुबन्ध-ख में विवरण दिया गया है। सीवीडी के प्रति उत्पाद शुल्क के अनुपात का दस वर्षीय औसत एफवाई 04 में 16.51 प्रतिशत से एफवाई 09 में 44.68 प्रतिशत तक के बीच में 27 प्रतिशत बढ़ती प्रवृत्ति का रहा।

1.3 विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2004-09 और 2009-14 में मान्य निर्यात (अध्याय 8) की योजना का प्रावधान है, जो घरेलू रूप से विनिर्मित माल का संदर्भ दिया गया है, जिसमें देशज विनिर्माता कुछ निर्धारित श्रेणी के प्राप्तकर्ताओं को माल की आपूर्ति करते हैं और उस श्रेणी की आपूर्तियों (जैसा कि अनुबन्ध "ग" में वर्णित है) के लिए घरेलू विनिर्माताओं द्वारा प्रदत्त करों की प्रतिपूर्ति की जाती है जिससे बराबर की भागीदारी का क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बराबर की भागीदारी का क्षेत्र (आयातकों के प्रति घरेलू विनिर्माताओं को) उपलब्ध होता है

1.4 मान्य निर्यातक अनेक लाभों के हकदार हैं जैसे कि (क) मान्य निर्यात फिरती की वापसी (ख) टर्मिनल उत्पाद शुल्क (टीईडी) की वापसी या छूट (ग) एचबीएफ खण्ड-I के शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन अग्रिम प्राधिकार/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार, डीएफआई।

1.5 एफआरबीएम अपेक्षा करता है कि केन्द्र सरकार जनहित में अपने राजकोषिय परिचालन में अधिक पारदर्शिता लाने और वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने और

---

[8] यदि भारत में कोई वस्तु उत्पादित या विनिर्मित होती उस पर कुछ समय के लिए लगने योग्य उत्पाद-शुल्क के बराबर शुल्क अतिरिक्त सीमाशुल्क है।

अनुदान के लिए मांग करने में गोपनीयता कम करना सुनिश्चित करने के लिए उपुयक्त उपाय करे। सरकार ने प्राप्ति बजट 2006-07 के बाद से केन्द्रीय कर प्रणाली के अन्तर्गत मुख्य कर व्यय का आंकलन दिखाना शुरू किया। संघ सरकार के प्राप्ति बजट में केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत छोड़ दिए गए राजस्व के विवरणों में फिरती छूट और मान्य निर्यात फिरती नहीं दर्शाया जाते हैं। वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 तक चार वर्ष की अवधि के दौरान ये रियायते (ड्राबैक रियायते ₹ 33,430 करोड़, मान्य निर्यात फिरती ₹ 7,679 करोड़) छोड़ दिए गए राजस्व के विवरणों (अनुबंध ए, ए 1) में दर्शाए गए 2,25,284 करोड़ के कुल कर व्यय का कम से कम 18 प्रतिशत बनती है। निर्यात फिरती और फिरती घटकों सीमाशुल्क दोनों मिलकर सीमाशुल्क के अन्तर्गत तीसरा वृहतम कर व्यय बनते हैं।

1.6 मान्य निर्यात फिरती और फिरती के परिवर्तन का स्वरूप बहुत भिन्नता होते हुए भी समान रहा है। एफवाई 08 से एफवाई 11 की सभी निर्यात संवर्धन योजनाओं पर भी कुल छोडे गये शुल्क ने समान समग्र प्रवृत्ति दर्शाई।

संगठनात्मक ढ्रांचा

1.7 डीजीएफटी द्वारा अपने पैंतीस आरएज़ और आठ क्षेत्रीय डीसी-एसईजेड के माध्यम से योजना कार्यान्वित करते है जैसा नीचे दर्शाया गया हैः

चार्ट 1 डीओसी का संगठन

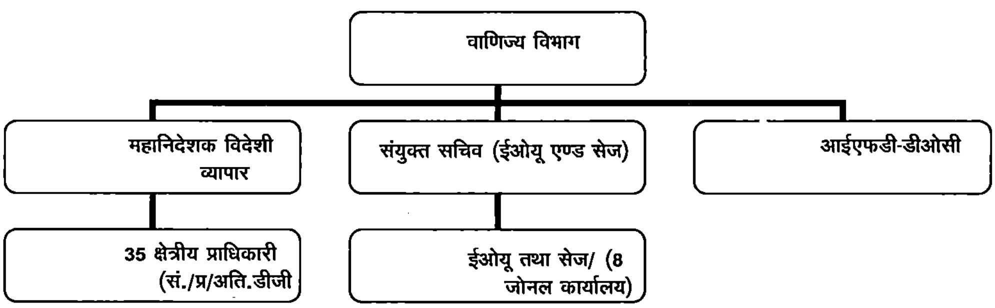

1.8 डीजीएफटी अपने क्षेत्रीय प्राधिकारियों (आरएज) से निधि की आवश्यकता की सूचना संग्रहीत और समेकित करता है। नीति ओर फिरती विंग आईएफडी, वाणिज्य विभाग को अनुमोदन के लिए मांग प्रस्तुत करता है। निधियों के अनुमोदन और आबंटन के बाद डीजीएफटी द्वारा संस्वीकृति जारी की जाती है। भुगतान एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) वाणिज्य एवं कपड़ा, विभिन्न आरएज़ के लिए सम्बंधित बैंकों में साख पत्र (एलसी) खोलने के लिए अधिकृत बैंक को संज्ञापन जारी करता है। तत्पश्चात लाभार्थियों के खाते में राशि स्थानातरंण करने के लिए लाभार्थियों की सूची के साथ बैंक को चैक जारी करते हैं। चैक जारी करने के बाद आरएज़ सम्बन्धित क्षेत्रीय पीएओ के साथ व्यय के आंकड़ों का मिलान करते हैं। इसी प्रकार वाणिज्य विभाग का एसईजैड-ईओयू विंग क्षेत्रीय एसईजैड से निधियों की आवश्यकता की जानकारी संग्रहीत एवं संकलित करता है और एएसएण्डएफए की सहमति से जेएस (ईओयू-एसईजैड से

अनुमोदन प्राप्त करता है। डीसी द्वारा किए गए व्यय का लेखा सीसीए/सम्बन्धित पीएओ रखता है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

1.9 मान्य निर्यात फिरती योजना के निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित पर आश्वासन प्राप्त करना है:

क. योजना के प्रबन्धन के लिए आन्तरिक नियंत्रण पद्धति तथ आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता।

ख. ड्राबैक के किसी अनियमित भुगतान या राजस्व हानि के प्रति रक्षा के लिए वर्तमान प्रावधान का अनुपालन ;

ग. ब्रांड दरों का निर्धारण

घ. मान्य निर्यात मामलों का समय पर निपटान

ङ. नीति विवेचना समिति के स्पष्टीकरण का अनुपालन और योजना के परिणाम का आंकलन

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कवरेज

1.10 हमने ड्राबैक और टीईडी की वापसी का दावा करने के लिए एफटीपी (2004-09 ओर 2009-14) में निर्धारित पात्रता, मापदण्ड और प्रक्रिया और मंत्रालय के आन्तरिक नियंत्रण तंत्र और क्षेत्रीय संरचनाओं के योजना को डीओसी की अपनी आरएफडी, रणनीति परिणाम रिर्पोटिंग की जांच की। मार्च 2012 से जून 2012 के दौरान समग्र देश में स्थित डीओसी (ईओयू और एसईजैड और डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों में 2007-08 से 2010-11 के बीच ड्राबैक और टीईडी के मामलों की लेखापरीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

1.11 लेखापरीक्षा की व्यवस्था सीएजी के लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबन्धन ढांचा, 2009 के अनुसार की गई जिसमें पेशेवर लेखापरीक्षा मानक 2वां संस्करण, 2002 और निष्पादन लेखापरीक्षा मार्गनिर्देश 2004 उपयोग किये गये।

लेखापरीक्षा नमूना

1.12 लेखापरीक्षा ने मार्च 2012 से जून 2012 के दौरान डीजीएफटी के 35 आरए और आठ एसईजैड और जेएस (ईओयू एण्ड एसईजैड) में से मान्य फिरती की वापसी और टीईडी मामले 25 आरए[9] और सात डीसी-एसईजैड[10] में नमूना संख्या के आधार पर संवीक्षा की। इन 25 आरए में 2007-08 से 2010-11 के दौरान 18,843 मामले जिसमें ₹ 5,941 करोड़ अन्तर्ग्रस्त थे, डीबीके की वापसी और टीईडी किये गये थे, जिसमें से 3,725 मामले (20 प्रतिशत) की संवीक्षा की गई। इसी प्रकार सात एसईजैड 5,151 मामले जिसमें ₹ 640 करोड़ की वापसी शामिल थी। उनमें से 984 मामले 18 प्रतिशत)

---

[9] अहमदाबाद, अमृतसर, बंगलूरू, चन्डीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर कटक, गान्धीधाम, हैदाबाद, जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, लुधियाना, मदुरै, मुरादाबाद, मुम्बई, नई दिल्ली, पुदूचेरी, पुणे, राजकोट, सूरत, वाराणसी, वडोदरा ओर विशाखापट्टनम

[10] कोचीन, चेन्नई, गांधीधाम, मुम्बई, नोयडा, कोलकाता, विशाखापटनम

लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चुने गये थे। डीजीएफटी की फील्ड संरचनाओं और जेएस (ईओयू) में स्तरीकृत यादृच्छिक स्तर का प्रयोग करके लेनदेनों की मात्रा के आधार पर निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए नमूने चुने जैसा कि नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

तालिका 1 : स्तरीकृत नमूना

श्रेणी	लेखापरीक्षा के लिए चयनित मामले
₹ दो करोड़ और अधिक के दावे	100 प्रतिशत
₹ 50 लाख और ₹ 2 करोड़ बीच के दावे	50 प्रतिशत
₹ 50 लाख से कम के दावे	20 प्रतिशत

अध्याय 2: आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

डीओसी और डीजीएफटी की आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाने की आवश्यकता है।

2.1 योजना से सम्बन्धित कमियों पर डीओसी और डीजीएफटी एक बजट शीर्ष से व्यय करते हैं। बजट शीर्ष के तहत निधि प्रबन्धन उचित नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा चार वर्षों के दौरान नियमित बचत अथवा अधिक व्यय हुआ था। डीओसी का ईओयू प्रभाग निरन्तर निधियां अभ्यर्पित करता रहा जबकि डीजीएफटी ने वित्त वर्ष 09 और वित्त वर्ष 10 के दौरान अधिक व्यय किया। *डीजीएफटी ने दावा किया कि डीजीएफटी और डीओसी के बीच निधियों का आबंटन आरएज़ और डीसीएसईजेड़ के प्रदर्शित व्यय के अनुसार किया जाता है।*

2.2 प्रधान कर संग्रहण प्राधिकारी (डीओआर) और मान्य निर्यात लाभ की प्रतिपूर्ति करने वाले प्राधिकारी (डीओसी) भिन्न-भिन्न है। कर व्यय अथवा नियार्त प्रोन्नति उपायों की प्रभावकार्यता का मूल्यांकन करने के लिए इनपुटों पर संग्रहीत कर और मान्य निर्यात लाभों की प्रतिपूर्ति का सहसम्बद्ध करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। *डीजीएफटी ने स्वीकार किया कि इनपुटों पर कर संग्रहण और प्रतिपूर्ति मान्य निर्यात लाभों को सहसम्बद्ध करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।*

2.3 योजना के उद्देश्य विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं किये गये है यद्यपि इसकी मूल संकल्पना एफटीपी से ली गई है। योजना बहुत पुरानी है और लगभग तीन दशकों से चालू है। फिर भी इसके परिणामों का मूल्यांकन नहीं किया गया है। विगत में सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था ताकि मान्य निर्यात लाभ उपलब्ध कराने का मूल आशय और तार्किकता और इन लाभों आदि का फायदा उठाने के लिए मानदंडों को देखा जा सकें।

2.4 डीओआर, डीओसी या उसके सीसीए ने डीजीएफटी या डीओसी की किसी क्षेत्रीय इकाई की कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की थी। *डीजीएफटी के अनुसार समय-समय पर "मान्य निर्यात योजना" सहित आरए के कार्यालयों का निरीक्षण डीजीएफटी की एक निरीक्षण इकाई नई दिल्ली द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक की श्रेणी के अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाता है। नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा, आर्थिक मामलों के विभाग ने सूचित किया कि डीजीएफटी द्वारा जारी विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन लाइसेन्सों की लेखापरीक्षा उनके द्वारा की जानी थी परन्तु उन्होंने "मान्य नियार्त योजना" के लिए कोई ऐसी लेखापरीक्षा नहीं की।*

2.5 अपने दिनांक जनवरी 2000 और अक्तूबर 2003 को लाइसेन्सों और ब्रान्ड दरों पर आरएज़ को परिचालित नीति परिपत्रों में डीजीएफटी ने बताया कि यादृच्छिक आधार पर चुने गये लगभग पांच से दस प्रतिशत मामलों की आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा पश्च लेखापरीक्षा की जानी चाहिए और त्वरित रूप से अपेक्षित अनुवर्ती कार्यवाही की पहल करनी चाहिए ताकि उपयुक्त स्तर पर मामले की समीक्षा की जाए। इसके लिए आरएज़ से अपेक्षित था कि वे अपने सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के लिए लेखापरीक्षा

कार्यकलापों के सम्बन्ध में कार्यालय में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग सृजित करें। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों में आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग कार्य नहीं कर रहे हैं। आरएज़ से अपेक्षित है कि सभी रजिस्टर/अभिलेख अर्थात दावा प्राप्ति रजिस्टर, चेक भुगतान रजिस्टर, मासिक तकनीकी रिपोर्ट और पश्च लेखापरीक्षा रजिस्टर आदि का रख-रखाव करें ताकि योजना के अर्न्तगत दावों की प्राप्ति और निपटारे की उचित निगरानी और बाद में संदर्भ और लेखापरीक्षा की जा सकें।

2.6 अहमदाबाद, अमृतसर, बंगलूरू, चेन्नई, चण्डीगढ़, कोयम्बटूर, कटक, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, लुधियाना, मदुरई, मुरादाबाद, नई दिल्ली, पूणे, राजकोट, सूरत, पुदुचेरी, बडोदरा, वाराणसी और विशाखपटनम के आरएज और डीसी-एसईजेड, फाल्टा, नोयडा, बंगलूरू के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नवत ज्ञात हुआः

क. योजना को पर्याप्त रूप से मानीटर नहीं किया जाता है। मांगों को समय पर समेकित नहीं किया गया था और उन्हे निधियां प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2013) कि निधियों का आबंटन, वितरण और निगरानी की प्रक्रिया को कारगर और बैंक की इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली (ईसीएस) ई-लेखा[11] के माध्यम से व्यय की बुकिंग और मानीटरिंग और डीजीएफटी के नीति प्रभाग द्वारा नियमित संकलन के माध्यम से गत वर्ष मज़बूत बनया गया है।

ख. डीजीएफटी द्वारा योजना के निष्पादन की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है जिससे कि यह विश्लेषण किया जा सके कि क्या उद्देश्य प्राप्त किये गये हैं और क्या गलत भुगतानों के प्रति बचाव के लिए जांच पर्याप्त थी। डीजीएफटी ने बताया कि डीजीएफटी (मुख्यालय) का निरीक्षण दल आरएज़ द्वारा किये गये विभिन्न कार्य जिसमें योजना भी शामिल है, का निरीक्षण करते हैं परन्तु इसके विपरीत लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के सम्बन्ध में निरीक्षण दल की भूमिका दावों के निपटारे तक ही सीमित है।

ग. डीजीएफटी द्वारा कर इनपुट के रूप में प्रतिपूर्ति के साथ डीओआर द्वारा संग्रहीत राशि के साथ मिलान के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये। डीजीएफटी ने तथ्य स्वीकार किया और बताया कि विभाग में संग्रहीत कर और निर्यात लाभ प्रतिपूर्ति के मिलान का कोई तंत्र नहीं है।

घ. डीजीएफटी ने दावेदारों द्वारा की गई घोषणाओं की सच्चाई की जांच करने के लिए अपना सिस्टम ईडीआई सिस्टम (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद विभाग का) के साथ नहीं जोड़ा था। डीजीएफटी ने अपने उत्तर मे (फरवरी 2013) बताया कि मान्य निर्यात लाभ के दावों की आनलाइन फाईलिंग होना सम्भव नही है क्योंकि यह शुल्कों की प्रतिपूर्ति है और अग्रिम प्राधिकार जैसा किसी प्रकार का प्राधिकार जारी करना नहीं है। इसके अतिरिक्त, दावे

[11] पीएओ का एकाउंटिंग पैकेज

की योग्यता और सच्चाई के बारे में निर्णय के लिए कई दस्तावेज़ निधार्रित किये गये हैं तथा सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागों द्वारा दावों की सच्चाई की जांच के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा सत्यापित बीजक/बीजकों का विवरण मांगा जाता है और मार्च 2011 से सेनवेट का लाभ नहीं उठाने की घोषणा की एक प्रति उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को भेजी जाती है। डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीजीएफटी पहले ही से "आइसगेट[12]" के माध्यम से सीमाशुल्क से जुड़ा हुआ है और केवल सत्यापन उद्देश्यों के लिए सॉफ्टवेयर के संवर्धन की आवश्यकता है।

2.7 आरएज से अपेक्षित था कि अनिवार्य अभिलेख जैसे दावा प्राप्ति रजिस्टर ; चैक भुगतान रजिस्टर, ब्रांड दर पत्र रजिस्टर, मासिक तकनीकी रिपोर्टे, प्रस्तुत किए गए दावों का डॉटा बेस, संस्वीकृत दावे, दत्त ब्याज और किए गए भुगतान और पश्च लेखापरीक्षा रिपोर्टों का रख-रखाव करें। लेखापरीक्षा ने पाया कि या तो इन अभिलेखों का रख-रखाव नही किया गया था या रखरखाव था तो वे नियमित रूप से पूरा करके और इन्हें उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। उचित अभिलेखों और आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग के गैर कार्यान्वयन के अभाव में वहां उच्च अंतर्निहित और पहचान संबंधी जोखिम हैं। विभाग द्वारा योजना की कमजोर निगरानी के प्रभाव को दर्शाता एक मामला नीचे दिया गया है।

2.8 आरए, हैदराबाद में, एक फर्म ने 330 मै.वा. की श्रीनगर हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना, उत्तराखण्ड को आपूर्ति पर ब्रांड दर ₹ 14.67 करोड निर्धारित करने के लिए आवेदन किया। दावे एफटीपी के पैराग्राफ 8.2 (जी) और 8.4.4 (iv) के अन्तर्गत किए गए थे और इसे ₹ 4.76 करोड़ तक सीमित किया गया था क्योंकि सीमेंट और स्टील की आपूर्ति से संबंधित राशि अनुमत नहीं थी।

2.9 लेखापरीक्षा ने यह पाया कि दावेदार को भुगतान के लिए डीजीएफटी नई दिल्ली से ₹ 13.18 करोड़ मांगा गया था जिसे डीजीएफटी, नई दिल्ली द्वारा जारी कर दिया गया था, जबकि दावा ₹ 4.76 करोड़ के लिए अनुमोदित किया गया था। अन्ततः दावेदार को ₹ 4.76 करोड़ की अनुमोदित राशि का भुगतान कर दिया गया था और ₹ 8.42 करोड़ की अधिक राशि को अन्य दावों हेतु बांट दिया गया जोकि अनुमोदित मामलों की सूची का भाग नहीं थे जिसके लिए डीजीएफटी नई दिल्ली से निधि की मांग की गई थी। परिपक्व रजिस्टर के अनुचित रखरखाव के कारण अनुमोदित राशि से अधिक की मांग हुई।

2.10 लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि अप्रैल 2011 में 31 मामलों के संबंध मे मांगी गई कुल निधि ₹ 41.33 करोड़ थी और इसे जारी किया गया था किन्तु ₹ 41.33 करोड़ का वास्तविक भुगतान 65 मामलों में किया गया था। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कमजोर निगरानी के कारण और बिना मुख्यालय को सूचित किए स्वतः ही अधिक राशि को अन्य मामलों हेतु मोड़ा गया जिनके लिए कभी मांग या

[12] भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई गेटवे

राशि जारी ही नहीं की गई थी। इससे अधिक/कपटपूर्ण भुगतान हो सकते हैं। यह ऊपर पैराग्राफ 2.6 (घ) में उल्लिखित डीजीएफटी के मत के विपरीत है।

क्षेत्रीय प्राधिकरण और ज़ोनल डीसी-सेज़

2.11 दावों के साथ प्रस्तुत अनिवार्य प्रमाण पत्र/दस्तावेजों की जांच आरएज और डीसीज नहीं करते है। अनिवार्य दस्तावेजों का या जो रखरखाव नहीं किया जा रहा अथवा रखरखाव अनुचित तरीके से किया जा रहा था और आरएज़ तथा डीसीसेज़ ने किसी आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग का गठन नहीं किया गया।

2.12 डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2013) कि निधि आवंटन, उसके उपयोग और उसकी निगरानी के तंत्र को कारगर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए है जैसे (क) उन्होंने आरटीजीएस[13] द्वारा अपने सभी आरएज़ के माध्यम से मान्य निर्यात योजना के अन्तर्गत निधियों की प्रतिपूर्ति प्रारम्भ कर दी है (ख) आरएज़ को निर्देश जारी किए है कि वे सुनिश्चित करें कि जैसे ही व्यय किया जाए व्यय का लेखांकन ई-लेखा प्रणाली में दर्ज किया जाए (ग) डीजीएफटी का नीति डिवीजन आरएज़ से लम्बित दावों, दावों की मंजूरी दर्शाए गए व्यय से संबंधित रिपोर्टों की निगरानी और निधि जारी करने के लिए डीओसी की आईएफडी को प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है। (घ) डीओसी के प्रधान लेखा कार्यालय ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक योजना विकसित की है जिससे किसी एक आरए द्वारा या डीजीएफटी के सभी आरएज़ द्वारा किए गए व्यय को वास्तविक समय आधार पर किसी भी समय इकट्ठा देखा जा सकता है (ङ) वित्तीय वर्ष 2012-13 से, एसईज़ेड के डीओसी और डीजीएफटी के आरएज़ के लिए निधियां अलग-अलग आवंटित की जा रही हैं ताकि निधि आबंटन उसके उपयोग तथा निगरानी को सुव्यवस्थित किया जा सके।

2.13 जैसा कि ऊपर बताया गया है, डीजीएफटी द्वारा उठाए गए कदम अनुवर्ती लेखापरीक्षा में सत्यापन के अध्यधीन हैं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए डीओसी के अनुदान के लिए मांगों के अवलोकन से पता चला कि ₹ 2656 करोड़ की समेकित राशि फिर से मुख्य शीर्ष 3453 के प्रति डीजीएफटी को आवंटित की गई थी।

सिफारिश 1: डीओसी की आन्तरिक नियंत्रण पद्धतियों और आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को उसके आरएफडी के उद्देश्यों के अनुसार कुशल बजटिंग, लेखांकन, भुगतान और आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए मजबूत बनाने की आवश्यकता है। बजट अनुमान, निधि आवंटन और मांग के उपयोग की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है।

---

[13] वास्तविक समय निवल समायोजन

अध्याय 3: लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं सिफारिशें

छोडे गए राजस्व के विवरण में फिरती, मान्य निर्यात फिरती एवं टीईडी पर कर व्यय सम्मिलित नही था। ब्याज भुगतान के लिए कोई अलग लेखा शीर्षक नहीं था।

3.1 डीओसी एवं डीजीएफटी योजना संबंधी छूटों के लिए एक ही बजट शीर्ष से खर्च करते हैं। डीबीके की प्रतिपूर्ति और टीईडी के प्रतिदाय पर कर व्यय डीओसी के 'मुख्य शीर्ष-3453-विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन-194- निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता (लघु शीर्ष)-03-निर्यात संवर्धन और बाजार विकास संगठन के लिए सहायता-00-33 आर्थिक सहायता' के अन्तर्गत किया जाता है। डीजीएफटी और डीओसी (ईओयू/एसईजेड), द्वारा वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 की अवधि के दौरान बजट आवंटन और व्यय नीचे दिया गया है। ब.अ., सं.अ. और वास्तविक के मामले में लेखापरीक्षा की अवधि में कोई पैर्टन प्रदर्शित नही किया गया है। भिन्नता को मिटाने के लिए डीओसी/डीजीएफटी द्वारा बजट के पूर्व बजट विश्लेषण द्वारा कोई उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया था।

तालिका: 2 मुख्य शीर्ष 3453 के अन्तर्गत बजट आवंटन

₹ करोड़ में

वर्ष		ब.अ.*	सं.अ.*	वास्तविक**	वास्तविक विनियोजन लेखों के अनुसार	विभाग के अनुसार बचतें/ अधिकता
वि.व. 08	ईओयू/एसईजेड	581.10	581.10	575.36	विनियोजन लेख मुख्य शीर्ष 3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन के अन्तर्गत व्यय केवल समेकित आंकड़ों को दर्शाते हैं।	5.74 (ब)
	डीजीएफटी	112.90	1012.90	1011.75		1.15 (ब)
वि.व. 09	ईओयू/एसईजेड	551.63	551.63	525.76		25.87 (ब)
	डीजीएफटी	742.37	1842.37	1858.34		15.97 (अ)
वि.व. 10	ईओयू/एसईजेड	312.78	312.78	281.52		31.26 (ब)
	डीजीएफटी	1229.94	1229.97	1246.75		16.76 (अ)
वि.वि. 11	ईओयू/एसईजेड	316.51	316.51	310.86		5.65 (ब)
	डीजीएफटी	1211.04	3211.04	1868.64		***1342.40 (ब)

* वि.व. 08 से वि.व. 11 के लिए संघ सरकार के व्यय बजट के अनुसार

* * डीओसी/डीजीएफटी द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

* * * वि.व.11 में ₹1342 करोड़ की बचत योजना के अन्तर्गत अधिसूचित परियोजनाओं की कुल विशिष्ट आपूर्तियों के लाभ को नामंजूर करने के पीआईसी के निर्णय के कारण हुई

3.2 लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 7,679 करोड़ का यह कर व्यय (मान्य निर्यात लाभ-अनुबंध क ।) संघ सरकार के प्राप्ति बजट मे केन्द्रीय कर प्रणाली के अन्तर्गत छोड़े गए राजस्व के विवरणों में सम्मिलित नहीं किया गया था। ब्याज के लिए लेखों का कोई अलग शीर्ष डीओसीके के बजटीय अनुदान के अन्तर्गत या ब्याज भुगतानों के अन्तर्गत अलग शीर्ष के रूप में संचालित नहीं किया गया था।

डीजीटीएफटी की नीति, प्रक्रियाओं एवं योजना के कार्यान्वयन के परिपत्रों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

अपूर्णता पत्र के अनुपालन से सम्बन्धित नीति में समय सीमा का अभाव

3.3 एचबीपी के पैराग्राफ 9.10 में प्रावधान है कि आरएज़ को दावेदार से प्राप्त पूर्ण दावा आवेदन के मामले में आगे के संदर्भ के लिए फाईल नं. दर्शाती एक औपचारिक रसीद जारी की जानी चाहिए। उसके बाद आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों और जांच सूची के संदर्भ में सम्बन्धित सहायक के द्वारा फाईल की विस्तृत जांच की जाती है और तब मामला विदेशी व्यापार विकास अधिकारी (एफटीडीओ) द्वारा संबंधित आरए को प्रस्तुत किया जाता है। एफटीडीओ आवेदन कर्ता को उसके दावे में कमी, यदि कोई है, को सुधारने के लिए एवं प्रक्रिया के लिए पुनः प्रस्तुत करने के लिए एक डीएल जारी करता है।

3.4 आरए, नई दिल्ली एवं अहमदाबाद ने क्रमशः मार्च 2007 और मार्च 2011 में टीईडी की वापसी के चार दावों के प्रति ₹ 3.09 करोड़ की वापसी की। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आरए नई दिल्ली ने अप्रैल 2007 और सितम्बर 2007 में आवेदक को डीएल जारी किए थे। आवेदन कर्ता ने सितम्बर 2009 में डीएल पर प्रतिक्रिया की। इसी प्रकार, आरए, अहमदाबाद ने 20 मार्च 2011 को डीएल जारी किए, आवेदकों ने दो वर्षों से अधिक के बाद डीएल पर प्रतिक्रिया की। आरए ने पुनः प्रस्तुत दावे पर कार्य किया एवं प्रतिदाय का अनुदान किया।

3.5 चूंकि डीजीएफटी ने योजना के अन्तर्गत डीएल के अनुपालन के लिए आवेदकों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नही की थी। आवेदनकर्ता दावे पर लेट कट फीस लगने या इसके कालातीत होने की स्थिति को टालने के लिए समय सीमा के अभाव का अवाँछित लाभ उठा सकता है। डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में बताया कि समय सीमा निर्धारित करने हेतु विचार किया जाएगा।

निर्धारित प्रक्रिया में कमियां

3.6 मान्य निर्गत लाभों के दावे के ऐसे मामले मे टीईडी/ड्राबैक के प्रतिदाय का दावे करने की नीति/पद्धति कोई प्रतिबन्ध निर्धारित नहीं करती जहां वास्तव में शुल्क प्राप्तकर्ता द्वारा नहीं बल्कि आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाता है और प्राप्तकर्ता टीईडी/ड्राबैक के प्रतिदाय के लिए आवेदन करता है।

3.7 आरए, कोच्ची के अन्तर्गत, एक ईपीसीजी लाइसेंसधारक ने ईपीसीजी प्राधिकरण के प्रति माल की खरीद पर भुगतान किए गए ₹ 32.52 लाख के टीईडी (प्राप्तकर्ता-आवेदक के रूप में) प्रतिदाय का दावा किया। आरए ने आवेदन की प्रस्तुति में विलम्ब के लिए लेट कट लगाने के बाद ₹ 30.90 लाख की अनुमति दी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि दावेदार ने आपूर्तिकर्ता को तीन बीजकों के संबंध में ₹ 4.42 लाख की राशि के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया था।

3.8 डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में बताया कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि बीजक उत्पादशुल्क सहित है या नहीं, असली मुद्दा है कि क्या उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया है या नहीं। यह उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि नीति अस्पष्ट है एवं प्रक्रिया उपलब्ध नही है।

एचबीपी, एफटीपी एवं नीति परिपत्र के प्रावधानों में विसंगति

3.9 एफटीपी 2009-14 का पैराग्राफ 8.4.1 (i) वार्षिक आवश्यकता/डीएफआईए के लिए अग्रिम प्राधिकरण के प्रति माल की आपूर्ति को मान्य आयात के रूप में संस्वीकृत करता है और आपूर्तिकर्ता मान्य निर्यात के प्रति लाभ के रूप में मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए लेने का हकदार होगा। जबकि एफटीपी का पैराग्राफ 8.4.1 (ii) अनुबंधित करता है कि या अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए के प्रति बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट अथवा एआरओ के प्रति आपूर्ति के मामलें में ब और टीईडी दोनों के लाभ उपलब्ध होगें। डीजीएफटी ने दिनांक 1 अक्टूबर 2006 के नीति परिपत्र में स्पष्ट किया कि अमान्यकरण के प्रति आपूर्ति के मामले में, मध्यवर्ती आपूर्ति और टीईडी के लिए अग्रिम लाइसेंस उपलब्ध है जबकि एआरओ के प्रति आपूर्ति के लिए, केवल ड्राबैक ही उपलब्ध है। इस प्रकार, यह नीति परिपत्र उन लाभों की अनुमति देता है जो एफटीपी (अवैधीकरण प्रति आपूर्ति के लिए) के अनुसार उपलब्ध नहीं थे और उन लाभों को अस्वीकृत करता है जो एफटीपी के अनुसार उपलब्ध थे।

3.10 आरए, अहमदाबाद, ने अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए (अवैधिकरण पत्र) के प्रति माल की आपूर्ति के लिए ₹ 7.59 करोड़ की राशि की मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए टीईडी के मान्य निर्यात एवं अग्रिम का लाभ उठाया, जबकि पूर्वोक्त एफटीपी के पैराग्राफ 8.4.1 (i) की शर्तों में, आपूर्तिकर्ता केवल मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए प्राप्त करने का हकदार है और टीईडी का नहीं। उसी प्रकार, आरए, वड़ोदरा और राजकोट द्वारा स्वीकृत चार मामलों में, आपूर्तिकताओं ने एफटीपी के पैराग्राफ 8.4.1 (ii) की शर्तों के अनुसार अग्रिम प्राधिकार (एआरओ/एलओसी) की आपूर्ति के प्रति ₹ 99.51 लाख के टीईडी मान्य निर्यात लाभों को प्राप्त किया जबकि दिनांक 1 अक्तूबर 2009 के परिपत्र के संदर्भ में, आपूर्तिकर्ता केवल ड्राबैक का हकदार होगा।

3.11 हमारे विचार में, एफटीपी और नीति परिपत्र के प्रावधानों के बीच असंगति है और परिपत्र को संशोधित करना आवश्यक है क्योंकि नीति परिपत्र न तो एफटीपी में मूलतः अपेक्षित लाभों को दे पाता है और न ही एफटीपी में उपलब्ध लाभों को अस्वीकृत कर पाता है। डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में कहा कि दिनांक 1 अक्तूबर 2009 का नीति परिपत्र संशोधित किया गया है।

3.12 दावे के भुगतान के 90 दिनों के अंदर मान्य निर्यात लाभों के लंबित भुगतान पर लगने वाले ब्याज के लिए दावे जमा करने के एफटीपी के प्रावधान को 06 अगस्त 2008 को संशोधित किया गया था, जिससे आवेदन के 30 दिन के बाद भुगतान में विलंब से उत्पन ब्याज का भुगतान, यदि कोई है, मुख्य दावे के साथ इसके लिए आवेदन करने के बिना किया जाना चाहिए। तथापि, एचबीपी के अनुसार, दावे के निपटान के प्रति जारी किए गए चैक के 90 दिनों के अंदर लंबित भुगतान पर ब्याज के दावे के लिए आवेदन किया जा सकता है। एचबीपी के प्रावधान एफटीपी के प्रावधानों के अनुरूप नही है, अतः एफटीपी के अनुसार संशोधित किये जाँए।

3.13 डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि पैराग्राफ 8.5 के अनुसार, ब्याज का भुगतान मुख्य दावे के साथ किया जाना चाहिए। दिनांक 01 अक्तूबर 2009 के नीति परिपत्र को संशोधित किया जा रहा है। तथापि, यदि गलती से, आरए ब्याज का भुगतान नहीं करता और यदि वह देय है तब, आवेदक को एएनएफ-8ए में ब्याज के लिए दावा करने का विकल्प दिया गया है। डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसा लगता है कि एफटीपी के वर्तमान प्रावधान के अधिरोहण एचबीपी में बनाया गया प्रावधान बाद में सोचा गया कदम है।

ड्राबैक की ब्रान्ड दर के निर्धारण के संबंध में एफटीपी एवं डीबीके नियमों के प्रावधानों में विसंगति

3.14 एचबीपी का पैराग्राफ 8.3.3 अनुबंध करता है कि मान्य निर्यात आपूर्तियों के प्रति ड्राबैक के ब्रान्ड दर के निर्धारण के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ एएनएफ 8 में एक आवेदन आरए अथवा डीसी को प्रस्तुत किया जाए। यद्यपि सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर (संशोधन) नियम, 2006 का नियम 7 में प्रावधान है कि डीबीके की ब्रान्ड दर का निर्धारण क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद अधिकारी द्वारा, जिसके अन्तर्गत दावेदार की विनिर्माण इकाई आती है, शुल्क भुगतान वाले दस्तावेजों की जाँच के बाद किया जाएगा। दूसरी ओर, दावेदार को यह प्रमाणित करना था कि सेनवेट क्रेडिट की गैर-प्राप्ति के साथ-साथ सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर ड्राबैक नियम, 1995 की सभी शर्तें पूरी की गई हैं। अतः एफटीपी/एचबीपी के प्रावधान सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर (संशोधन) नियम, 2006 के साथ परस्पर विरोधी है। इसके अतिरिक्त, सेवनेट क्रेडिट नियम, 2004 के अन्तर्गत सेवनेट क्रेडिट की सुविधा प्राप्त करने संबंधी घोषणा ना केवल इनपुट घटको के लिए अपितु इनपुट सेवाओं के लिए भी होनी चाहिए, एवं इस प्रकार ब्रान्ड दर के निर्धारण पर प्रभाव डालती है। अतः आरए एवं डीसी को डीबीके के ब्रान्ड दर निर्धारण के सभी पुराने मामलों की समीक्षा एवं अतिरिक्त डीबीके, यदि भुगतान किया गया है, तो वसूली करने की आवश्यकता है।

3.15 लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 मामलों में (आरएज़ द्वारा 11 मामलों एवं डीसी-सेज द्वारा एक मामले में) आरएज, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, नई दिल्ली एवं डीसी-वीएसईजेड ने ड्राबैक ब्रान्ड दर के गलत निर्धारण के कारण ₹ 17.36 करोड़ के अधिक डीबीके का भुगतान किया। भुगतान किये गए अधिक डीबीके की वसूली किये जाने की आवश्यकता है। आरए, जयपुर, कोलकाता एवं दिल्ली ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कार्यवाही आरंभ की है।

सिफारिश 2: डीओसी अस्पष्टता को रोकने के लिए अपनी नीति/प्रक्रिया के समन्वय पर विचार करे।

डीजीएफटी को प्रति सहायता के साथ मध्यावधि उपायों के लिए प्रभावी रूप से माँग प्रक्रिया, निधि उन्मुक्ति, दावो को अन्तिम रूप देने एवं समय-सीमा बनाने की आवश्यकता है।

ड्राबैक/टीईडी के भुगतान मे विलंब के लिए दिया गया ब्याज

3.16 एफटीपी का पैराग्राफ 8.5.1 उन प्रतिपूर्ति/प्रतिदाय के संबंध में जो एक अप्रैल 2007 को या उसके बाद देय है परन्तु जो आरएज द्वारा उसके भुगतान के अन्तिम अनुमोदन के 30 दिनों के अन्दर न चुकाये गये हो, में डीबीके एवं टीईडी के प्रतिदाय के विलंबित भुगतान पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान के लिए प्रावधान करता है। 6 अगस्त, 2008 को या उसके बाद जमा की गई टीईडी एवं डीबीके प्रतिदाय के आवेदन के संबंध में, 30 दिन की अवधि की गिनती पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से होगी।

3.17 लेखापरीक्षा ने देखा कि मान्य ड्राबैक/टीईडी के प्रतिदाय के 29 प्रतिशत मामलों में (आरएज़ एवं डीसीज कार्यालयों में जाँच किये गए 22,921 दावों में से 6,739 में) मान्य निर्यात लाभों के भुगतान में विलम्ब था। मान्य ड्राबैक/टीईडी के प्रतिदाय के 5,001 दावों मे ₹ 52.71 करोड़ के ब्याज का भुगतान (आरएज़ द्वारा ₹ 51.95 करोड़ और डीसीज द्वारा ₹ 0.76 करोड़) किया गया था। शेष मामलों में या तो पार्टियों द्वारा ब्याज का दावा नहीं किया गया था अथवा विभाग द्वारा भुगतान नही किया गया था, इन 1,738 मामलों में ब्याज देयताएं ₹ 17.48 करोड़ थीं। दावों के निपटान में 2,161 दिनों तक का विलंब देखा गया।

3.18 कुछ उदाहरण नीचे दिए गए है:

क. आरए, नई दिल्ली ने ड्राबैक एवं टीईडी के प्रतिदय के 1,116 दावों मे ब्याज के लिए ₹26.27 करोड़ का भुगतान किया।

ख. आरए, हैदराबाद में, 2007-08 से 2010-11 के दौरान प्रक्रियाकृत 1440 मामलों में से प्रस्तुत किये गए 81 मामलों मे डीबीके/टीईडी के 298 दावों में ₹ 6.99 करोड़ के ब्याज के लिए दावा नही किया गया था, विलम्बित भुगतान के कारण ₹ 6.43 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया।

ग. आरएज़, मुम्बई, पुणे एवं डीसी-सीईईपीजेड, मुम्बई ने 518 मामलों में ₹ 4.04 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया एवं 81 मामलों में ₹ 0.78 की राशि के ब्याज का दावेदारों द्वारा दावा नही किया गया।

घ. पांच आरएज[14] ने 941 मामलों मे डीबीके एवं टीईडी के विलम्बित भुगतान के लिए ₹ 3.60 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया एवं 200 मामलों मे दावेदारों द्वारा ₹ 0.25 करोड़ के ब्याज का दावा नही किया गया था।

3.19 डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में कहा कि ब्याज देयताओं के भुगतान का मुख्य कारण निधि की कमी है। डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि दावों को अंतिम रूप देने में हमने पर्याप्त विलंब देखे थे। जिसके परिणाम स्वरूप परिहार्य ब्याज का भुगतान किया गया।

---

[14] अहमदाबाद, गांधीधाम, राजकोट, सूरत और वडोदरा।

3.20 डीओसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में निष्कर्ष को स्वीकार किया और कहा कि एचबीपी के पैराग्राफ 9.10 और 9.11 की शर्तों में निर्धारित प्रक्रिया को फिर से देखा जाएगा और मजबूत किया जाएगा।

एफटीपी में ड्राबैक/टीईडी के गलत भुगतान पर ब्याज की उगाही का कोई प्रावधान नही है।

3.21 मान्य निर्यात योजना के अंतर्गत टीईडी और ड्राबैक के प्रतिदाय में देरी पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा, तथापि योजना में टीईडी/ड्राबैक के भुगतान के कारण गलत दी गई राशि की वापसी पर ब्याज की उगाही का कोई प्रावधान नहीं है।

3.22 आरए, अहमदाबाद, हैदराबाद और डीसी-एसईईपीज़ेड, मुबंई के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 18 मामलों में आरएज़ ने अधिक/गलत भुगतान किया, तथापि, अधिक/गलत भुगतान की वसूली के लिए मांग पत्र प्रस्तुत करते समय ऐसे प्रावधानों के अभाव के कारण आरएज़ देय राशि पर कोई ब्याज नही लगा सके।

3.23 *डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि यदि आवेदकों द्वारा इसका गलत दावा किया गया है तो वे डीबीके और टीईडी के अधिक भुगतान पर ब्याज लेने के प्रस्ताव की जांच करेंगे, जबकि डीओसी ने अपने जवाब मे कहा (फरवरी 2013) कि वे गलत भुगतान पर ब्याज लेने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे।*

सिफारिश 3: डीओसी ड्राबैक/टीईडी के गलत भुगतान पर ब्याज लगाने के उपयुक्त यंत्र पर विचार करे।

मौजूदा ईडीआई प्रणाली में दावों को सुलझाने के लिए प्रावधान नहीं है। यह आईसीईएस/एसीईएस प्रणाली से संबंधित नही है।

आनलाईन ईडीआई प्रणाली का अभाव

3.24 ड्राबैक और टीईडी की वापसी इस शर्त के अध्यधीन है कि आवेदक फर्म, लाभों का दावा करते समय, दावापरित्याग प्रमाण-पत्र इस आशय से प्रस्तुत करे कि उन्होंने डीबीके/टीईडी की वापसी का दावा नहीं किया है और शामिल दावे के अतिरिक्त भविष्य में कोई दावा नहीं करेंगे। आवेदक यह भी घोषित करे कि वे डीजीएफटी/डीसी-एसईज़ेड के किसी भी कार्यालय से उनके प्रति लाभों का दावा कभी नहीं करेगा।

3.25 लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि आरएज़ केवल आवेदन के साथ जमा किए गए दावापरित्याग पत्र पर निर्भर करते है। उनके पास प्रमाणपत्र के उचितता की जांच करने के लिए कोई केन्द्रीयकृत डाटा प्रणाली/ऑनलाईन ईडीआई प्रणाली नही है। ऐसी प्रणाली के अभाव में दोहरे भुगतान/कपटपूर्ण भुगतान की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। अधिक पारदर्शिता के लिए संव्यवहार समय और लागत में कमी तथा

कपटपूर्ण दावों के मामलों को कम करने के लिए ईडीआई प्रणाली की रूपरेखा को बढावा दिए जाने की आवश्यकता है।

3.26 *डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में कहा कि मान्य निर्यात लाभ के दावों को ऑन लाईन दर्ज करना संभव नहीं होगा, क्योंकि, यह शुल्क की प्रतिपूर्ति है और अग्रिम प्राधिकार की तरह किसी प्रकार के प्राधिकार का मामला नहीं है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क विभाग द्वारा दावों की सत्यता की जाँच के संबंध में और दावे की सत्यता और पात्रता के बारे में निर्णय लेने के लिए बहुत से दस्तावेजों को निर्धारित किया है, केन्द्रीय उत्पाद द्वारा साक्ष्यांकित बीजक/बीजकों के विवरण को मंगाया जाता है और मार्च 2011 से, सेनवेट के लाभ को न उठाने की घोषणा की प्रति आबकारी प्राधिकारी को भेजी जानी आवश्यक है।*

3.27 डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीजीएफटी "आईसगेट " के माध्यम से डीजीएफटी सीमाशुल्क के साथ पहले से ही जुड़ा है और जांच के लिए साफ्टवेयर को अपग्रेड करने आवश्यकता है। डीजीएफटी दावेदारों द्वारा की गई घोषणाओं की सत्यता की जांच करने के लिए उत्पाद विभाग के साथ समान सम्पर्क बना सकता है।

3.28 *डीओसी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि इकाईयों द्वारा दावों को सरल व कारगार बनाने की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत होना चाहिए। वे शुल्कों की प्रतिपूर्ति और किए गए दावों की सत्यता की जाँच के लिए मौजूदा प्रणाली को अधिक मजबूत बनाने के मामले की जाँच करेंगे।*

सिफारिश 4: डीजीएफटी की मौजूदा ईडीआई प्रणाली को दावों पर कार्य करते समय कपट के मामलो को कम करने के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग के ईडीआई प्रणाली से जोड़े जाने की आवश्यकता है।

स्व-घोषणा प्रणाली में, आरएज़ और डीसीज़ दावेदारों द्वारा की गई घोषणाओं की सत्यता की दुतरफी-जांच नही कर रहे है।

सेनवेट क्रेडिट के उपयोग से संबंधित घोषणा की जाँच की प्रणाली का अभाव

3.29 एचबीपी का पैराग्राफ 8.3.1 (i) अनुबंध करता है कि माल प्राप्तकर्ता डीबीके/टीईडी के प्रतिदाय का दावा इस शर्त के अधीन कर सकता है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा सेनवेट सुविधा का उपयोग नहीं किया गया है और आपूर्तिकर्ता द्वारा दावापरित्याग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है। फरवरी 2011 के बाद से, आपूर्तिकर्ता को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क डिवीजन के क्षेत्राधिकार सहायक/उप-आयुक्त के पूरे पते के साथ, घोषणा प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करनी चाहिए। डीसी/आरए घोषणा की दूसरी प्रति को यथावत् मोहर लगाकर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के संबंधित सहायक/उप-आयुक्त को अग्रेषित करेगा।

3.30 लेखापरीक्षा में देखा गया कि डीसी-एसईज़ेड और आरएज के कार्यालय में दावेदारों द्वारा प्रस्तुत घोषणाओं के सत्यापन की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। मुम्बई और

डीसी-एसईईपीज़ेड को छोड़कर सभी आरएज़ ने स्वीकार किया कि घोषणाओ की जांच करने के लिए कोई प्रणाली नही है। आरए, मुंबई और डीसी-एसईईपीज़ेड मुम्बई में 2007-08 से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के पास टीईडी दावों के संबंध में प्रति-सत्यापन की प्रणाली मौजूद थी। आरए/डीसी ने पश्च-पुष्टि के लिए पांच प्रतिशत मामलों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को प्रेषित किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि आरए जयपुर ने सैनवेट क्रेडिट की अनुपलब्धता से संबंधित घोषणा के बिना पूंजीगत माल की आपूर्ति पर टीईडी प्रतिदाय दिया जैसाकि नीचे दर्शाया गया है।

3.31 आरए, जयपुर ने 2007-08 से 2010-11 की अवधि के दौरान तीन[15] ईपीसीजी लाइसेंसधारियों को 161 मामलों में ₹ 18.94 करोड़ की टीईडी वापस दी। लाइसेंस धारकों ने अग्रिम एआरओ प्राप्त होने के बाद स्वदेशी निर्माताओं (आपूर्तिकर्ताओं) से मशीनें और अतिरिक्त पुर्जे खरीदे। ऐसे मामलों में, निर्माता पहले सेनवेट क्रेडिट और या वैयक्तिक बही लेखा (पीएलए) के माध्यम से सरकार को उत्पाद शुल्क देते हैं और ईपीसीजी लाइसेंस धारकों से उसका दावा करते हैं। उसके बाद, ईपीसीजी लाइसेंस धारकों को आरए से टीईडी के रूप में इस शुल्क का प्रतिदाय हुआ। इसी प्रकार, आरए कानपुर के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एक आपूर्तिकर्ता ने विभिन्न फर्मों को पूंजीगत माल (पांच मामलें) की आपूर्ति की थी और सैनवेट क्रेडिट की अनुपलब्धता के प्रमाणपत्र के बिना ₹5.18 करोड़ के टीईडी के प्रतिदाय का दावा किया था।

3.32 उपरोक्त मामले में, दावेदार ने सैनवेट क्रेडिट की अनुपलब्धता के दावापरित्याग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि आपूर्तिकर्ता ने अप्रयुक्त सैनवेट क्रेडिट वाला शुल्क दिया। *डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (नवंबर 2012) कि उसने 8 मार्च 2011 को एक पीएन जारी किया है जिसमें एएनएफ 8 के साथ दी जाने वाली घोषणा को संशोधित किया है। इस घोषणा की प्रति को संबंधित सीई विभाग को आरए द्वारा अग्रेषित करवाना आवश्यक है। डीजीएफटी बाद में पुष्टि करने के लिए सीमाशुल्क और आबकारी विभाग को भी कुछ प्रतिशत मामले भेजने के लिए सहमत हुआ।*

सैनवेट की प्राप्ति

3.33 एचबीपी का पैराग्राफ 8.3.1(i) अनुबंध करता है कि प्राप्तकर्ता सेनवैट क्रेडिट न लेने से संबंधित एएनएफ 8 अनुलग्नक II में दिये गये प्रारूप में एक स्व घोषणा के साथ आपूर्तिकर्ता से एक उपयुक्त दावापरित्याग पत्र प्रस्तुत करने पर मान्य निर्यातों के लाभ का भी दावा कर सकते हैं। इसके अलावा, एफटीपी के पैरा 8.5 के अनुसार माल की आपूर्ति एफटीपी के पैरा 8.3 (सी) के संबंध में टीईडी के प्रतिदाय के योग्य होगा बशर्ते कि माल प्राप्तकर्ता ऐसे माल पर सेनवेट क्रेडिट/छूट नहीं लेता हो।

3.34 अहमदाबाद, कटक, हैदराबाद, गाँधीधाम, जयपुर, कोलकाता, कानपुर, मुंबई, पुणे, राजकोट, सूरत के आरएज़ तथा कोचीन, चेन्नई और विशाखापत्तनम के एसईजेडज में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के 110 मामलों में आपूर्तिकर्ता के घोषणा प्रमाणपत्र

---

[15] मै. संगम इण्डिया प्रा. लि., मै. गिन्नी इंटरनैशनल और मै. श्री राजस्थान सिंटैक्स लि.

के बिना अथवा एएनएफ 8 के अनुलग्नक II में स्व घोषणा-पत्र के बिना ₹ 57.47 करोड़ (आरएज़ द्वारा ₹ 56.10 करोड़ तथा डीसी-एसईजेडज ₹ 1.37 करोड़) की राशि की डीबीके/टीईडी का प्रतिदाय किए जाने का पता चला। *डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में बताया कि आरएज़ ने घोषणा पत्र/सेनवैट घोषणा-पत्रों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। गैर अनुपालन के मामले में वसूली की जाएगी।*

3.35 हमारा मानना है कि दावा करने, मंजूरी और मान्य निर्यात लाभों के भुगतान की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु भागीदारों को ऑन-लाइन जोड़ना आवश्यक है। डीजीएफटी को स्वयं को सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद विभाग की ईडीआई से जोड़ना चाहिए।

टीईडी का भुगतान अनिवार्य दस्तावेजीकरण के बिना किया गया था।

बिना उचित स्थापना प्रमाण-पत्र/आरसीएमसी के टीईडी की मंजूरी

3.36 एफटीपी का पैराग्राफ 2.44 अनुबंध करता है कि एफटीपी के अन्तर्गत कोई लाभ या छूट प्राप्त करने के लिए दावेदार को संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद से वैध पंजीकरण या सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, एचबीपी के पैराग्राफ 8.2.3 के अनुसार में एफटीपी के पैराग्राफ 8.2 (सी) के अन्तर्गत पूंजीगत माल की आपूर्ति के लिए, आपूर्तिकर्ता ईपीसीजी प्राधिकार धारक से पूँजीगत माल की आपूर्ति/प्राप्ति के साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त एचबीपी के पैराग्राफ 5.3.1 के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकरण से पंजीकृत ईपीसीजी धारक, उत्पाद प्राधिकरण का प्राप्ति प्रमाण-पत्र दिया जाय और जहाँ लाइसेंसधारक उत्पाद प्राधिकरण से पंजीकृत नहीं है, स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर से पूँजीगत माल की स्थापना सुनिश्चित करने वाला स्थापना प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

3.37 चंडीगढ़, कोयम्बतूर, कानपुर, कोलकाता, सूरत के आरएज और डीसी-फाल्टा द्वारा टीईडी के प्रतिदाय की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि पूँजीगत तथा अन्य माल के लिए 42 आवेदकों (आरएज़ में 37 तथा सेज़ में 5 आवेदक) को ₹ 19.89 करोड़ की टीईडी का प्रतिदाय हुआ। जबकि 18 मामलों में आवेदकों ने पूँजीगत माल के लिए कोई भी स्थापना प्रमाण-पत्र जमा नहीं किया था और बाकी 19 मामलों में आरसीएमसी उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, इन मामलों में आरसीएमसी टीईडी की मंजूरी सही नहीं थी। डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में बताया कि आरए कोलकाता ने वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरएज़, चंडीगढ़ तथा कानपुर को अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं।

महानिदेशक हाइड्रोकार्बन (डीजीएचसी) से प्रमाण-पत्र के बिना टीईडी का प्रतिदाय

3.38 एफटीपी के पैरा 8.2 (एफ) के अनुसार, किसी भी परियोजना के लिए माल की आपूर्ति के संबंध में जिसमें एमओएफ, एक अधिसूचना द्वारा, ऐसे माल का आयात उत्पाद शुल्क शून्य करती है, को मान्य निर्यात माना जाएगा बशर्ते कि माल भारत में ही बनाया गया हो। दिनांक 1 मार्च 2002 की सीमाशुल्क अधिसूचना के क्रमांक 214 से 217 के संबंध में निर्दिष्ट नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के तहत विशेष अनुबंध के

अंतर्गत किए गए पेट्रोलियम संचालन के संदर्भ में आवश्यक विनिर्दिष्ट माल पर छूट दी जाती है बशर्ते कि डीजीएचसी, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) के एक सक्षम प्राधिकृत अधिकारी से यह बताते हुए एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आयातित माल पेट्रोलियम संचालन या कोलबेड मीथेन संचालन के लिए आवश्यक है, जैसा भी मामला हो और यह नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति अथवा कोलबेड मीथेन नीति के तहत हस्ताक्षरित अनुबंध के अंतर्गत आयात की गई है।

3.39 आरए, मुंबई, कटक और लुधियाना ने आईओसीएल[16]/बीपीसीएल[17] एचएसडी की खरीद के लिए 26 मामलों में तीन आवेदकों को ₹ 46.79 करोड़ टीईडी का प्रतिदाय किया। दावों की समीक्षा से पता चला कि जैसा कि दिनांक 1 मार्च 2002 में अधिसूचना की शर्तों मे निर्धारित किया गया था खरीदी गई वस्तु अर्थात एचएसडी की पैट्रोलियम परिचालनों हेतु आवश्यक थी, को डीजीएससी के प्राधिकृत अधिकारी के प्रमाण-पत्र से दावे समर्थित नहीं थे। डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में कहा कि आरए, मुंबई ने कंपनी से आवश्यक प्रमाण-पत्रों की माँग की है।

परमाणु ऊ र्जा विभाग (डीएई) के प्रमाण-पत्र में आपूर्तियों पर डीबीके/टीईडी के प्रतिदाय को शामिल न किया जाना

3.40 परमाणु शक्ति परियोजनाओं को माल के आपूर्तिकर्ता डीईए मे भारत सरकार के अधिकारी, संयुक्त सचिव रैंक के समकक्ष अधिकारी द्वारा प्रमाणित 440 मेगावाट या अधिक की क्षमता वाली परमाणु शक्ति परियोजना की स्थापना के लिए माल की आपूर्ति पर मान्य आयात लाभ का हकदार है।

3.41 आरए, मुम्बई ने कैगा और कलपक्कम परमाणु शक्ति परियोजना को संबलन स्टील, ढ़ांचागत स्टील, सीमेंट आदि की आपूर्ति के प्रति फर्म को ₹15.55 करोड़ के डीबीके के तीन दावों को संस्वीकृत किया। विभिन्न विक्रेताओं ने इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए फर्म को इस माल की आपूर्ति की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि आपूर्ति किए गए माल को डीएई के संयुक्त सचिव द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट नही किया गया है। इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ता ने विक्रेता से सैनवेट की अनुपलब्धता के दावापरित्याग प्रमाणपत्र को प्रस्तुत नही किया था। क्योंकि आपूर्ति किया गया माल सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था, ₹15.55 करोड़ के डीबीके की संस्वीकृति अनियमित थी और इसकी वसूली होनी आवश्यक थी। *अपने उत्तर (फरवरी 2013) मे डीजीएफटी ने कहा कि आरए, मुम्बई ने सभी मामलों मे एससीएन जारी कर दिए हैं। फर्म ने उच्च न्यायालय मे एक रिट याचिका दर्ज की है।*

लेखापरीक्षा द्वारा संचलनात्मक गलतियों के दूसरे मामले जैसे कि अनुपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा दावों की संस्वीकृति; अयोग्य आपूर्तियों पर लाभ देना; मान्य निर्यात आपूर्तियों के उद्ग्रहण के प्रमाण का अभाव आदि देखा गया।

---

16 भारतीय तेल निगम लि.

17 भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि.

अनुपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मान्य निर्यात लाभ की मंजूरी

3.42 जैसाकि एफटीपी के 8.2 (बी) में निर्धारित हैं इओयूज को आपूर्ति के संदर्भ में मान्य निर्यात लाभ के लिए आवेदन डीसी अथवा संबंधित आरए को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, नीति परिपत्र दिनांक 21 अक्तूबर 2003 में प्रावधान है कि एफटीपी के पैरा 8.2 (बी) के तहत ईओयूज को की गई आपूर्तियों के संबंध में डीबीके का दावा करने के लिए आवेदन की एक प्रति संबंधित आरए को देनी होगी जो निर्धारित ब्रांड दर के आधार पर भुगतान की व्यवस्था करेगा। एचबीपी के पैरा 8.3.1 (i) में प्रावधान है कि एफटीपी के पैरा 8.3 (बी) एवं (सी) के तहत लाभ का दावा करने हेतु निर्धारित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संबंधित आरए को भेजना चाहिए।

3.43 लेखापरीक्षा ने सक्षम प्राधिकारी के अलावा अन्य प्राधिकारी द्वारा डीबीके की मंजूरी के मामले देखे। कुछ मामले नीचे दर्शाए गए हैं:

क. डीसी, एमईपीजेड, चेन्नई ने 21 डीटीए आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े 108 मामलों के संबंध में ₹ 13.60 करोड़ के डीबीके की मंजूरी दी, जबकि इन मामलों में उपयुक्त स्वीकृत प्राधिकरण आरए चेन्नई और आरए बैंगलूरू थे।

ख. आरए कोलकाता ने नौ मामलों में पैरा 8.2 (सी) के तहत ईपीसीजी प्राधिकार धारकों को पूँजीगत माल की आपूर्ति के लिए ₹2.49 करोड़ के टीईडी का प्रतिदाय किया, हालांकि संबंधित आरए कटक, पटना, नई दिल्ली या मुंबई थे।

ग. डीसी-सेज, काण्डला ने ईओयूज़ को माल की आपूर्ति के लिए 23 डीटीए युनिटों को ₹ 61.94 लाख का मान्य निर्यात लाभ संस्वीकृत किया। इन मामलों में उपयुक्त दावा संस्वीकृत करने वाले प्राधिकारी संबंधित आरएज थे। एक अन्य उदाहरण में आरए, राजकोट ने सेज़ यूनिटों को माल की आपूर्ति के लिए डीटीए यूनिट को ₹ 1.03 लाख का डीबीके दिया। चूंकि, सेज को माल की आपूर्ति प्रत्यक्ष निर्यात है और मान्य निर्यात नही है, अतः आरए द्वारा डीबीके प्रदान करना अनियमित था और डीटीए यूनिटों से वसूली योग्य था।

घ. कोचीन-सेज में, संबंधित आरए के बजाए डीसी, सेज़ द्वारा ईओज़ को की गई आपूर्ति के संबंध में डीटीए आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 31.34 लाख के डीबीके की मंजूरी दी गई।

ड. डीसी-सेज़, फाल्टा ने चार मामलों में ईओयूज़ को तथा एक मामले में डीटीए आपूतिकर्त्ता को टीईडी प्रतिदाय के रूप में ₹ 4.94 करोड़ राशि का भुगतान किया, जबकि दावा अनुप्रयुक्त सेनवैट क्रेडिट के प्रतिदाय

के लिए था, जिसे केवल क्षेत्राधिकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा ही मंजूरी दी जा सकती थी।

च. डीसी एसईईपीजेड, मुंबई में छः मामलों में संबंधित आरए के बजाय डीसी द्वारा ईओयूज़ को की गई आपूर्ति के संबंध में ₹ 0.83 करोड़ की फिरती की मंजूरी दी।

3.44 लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त स्वीकृति प्राधिकरण के साथ दावों की जांच, दोहरे दावों के बचने के लिए सत्यता की जांच आदि के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। ऑनलाईन ईडीआई मॉनीटरिंग व्यवस्था के अभाव में/या होने पर डीटीए आपूर्तिकर्ता द्वारा दोहरे दावों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

3.45 एफटीपी के पैरा 8.3 (सी) के अनुसार, मान्य निर्यात टीईडी से छूट के लिए योग्य होना चाहिए जहाँ आपूर्तियाँ आईसीबी के प्रति की जाती हैं। तद्नुसार, एचबीपी के पैरा 8.3.2 में प्रावधान है कि उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट का दावा करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए। इस प्रकार, आईसीबी के द्वारा दिये गए ठेकों के प्रति आपूर्तियों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान में छूट होती है।

3.46 आरएज़ चेन्नई, कटक, जयपुर और कोलकाता में आईसीबी के माध्यम से दिए गए ठेकों के प्रति परियोजनाओं हेतु आपूर्ति के लिए 59 मामलों में कुल ₹ 88.80 करोड़ के टीईडी के प्रतिदाय की मंजूरी दी गई। दावेदार को टीईडी प्रतिदाय के बजाय उपयुक्त बताए गए पैराग्राफ के अनुसार छूट प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार प्रतिदाय अनियमित तथा वसूली योग्य था। डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में बताया कि आरएज़, जयपुर और कोलकाता ने वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी और आरए कटक को वसूल प्रक्रिया की शुरूआत के लिए कहा गया है।

आयातित माल के लिए मान्य निर्यातडीबीके

3.47 दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के डीजीएफटी के नीति परिपत्र में स्पष्ट किया कि किसी मामले में यदि पूँजीगत माल ठेकेदार/उपठेकेदार द्वारा आयातित हो और ऐसे ही परियोजना प्राधिकरणों को आपूर्त किये जाते है तो ऐसे आयातों में किए गए सीमा शुल्क भुगतान पर कोडीबीके के रूप में प्रतिदाय नहीं किया जा सकता।

3.48 जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद के आरएज़ और सेज़, कांडला के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि परियोजना प्राधिकरणों को आयातित माल अथवा परियोजना प्राधिकरणों द्वारा आयातित माल की आपूर्ति पर 56 मामलों में ₹ 1,046.11 करोड़ राशि (आरएज़ द्वारा 53 मामलों में ₹ 1,045.36 करोड़ तथा डीसी-सेज द्वारा तीन मामलों में ₹ 0.75 करोड़) की फिरती/टीईडी का भुगतान किया गया। आरए नई दिल्ली ने 42 दावेदारों को मई 2011 से अप्रैल 2012 के दौरान ₹ 7.97 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 975.48 करोड़ की फिरती का वसूली पत्र जारी किया। हालांकि अभी तक किसी भी वसूली की सूचना नहीं दी गई थी। डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में कहा

कि आरएज़ ने वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी है जबकिं कई कंपनियों ने पीआईसी स्पष्टीकरण के साथ-साथ ऐसे ज्ञापनों के विरूद्ध उच्च-न्यायालय में अपील की है।

मान्य निर्यात आपूर्ति की वसूली न करना

3.49 एफटीपी के पैरा 8.2 (ए), (बी) तथा (सी) के तहत की गई आपूर्तियों के सबूत के तौर पर मान्य निर्यात फिरती का दावा करने वाले आवेदक को एचबीपी के परिशिष्ट 22 बी में दिये गये फार्म में बैंक से वसूली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। तथा एफटीपी के उप-पैरा (डी), (ई), (एफ), (जी), एच) और (जे) के तहत की गई आपूर्तियों के लिए एचबीपी के परिशिष्ट 22 सी के अनुसार वसूली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, पैरा 8.3.1 (iv) के अनुसार, मान्य निर्यात फिरती की मंजूरी, आपूर्तियों पर प्राप्त भुगतान तक सीमित होगी। टीईडी के प्रतिदाय के मामले में, किसी भी प्रतिदाय को तब तक मंजूरी नहीं दी जाय जब तक कुल राशि के 90 प्रतिशत की वसूली न हो जाए।

3.50 अहमदाबाद, बैंगलुरू, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मुंबई, नई दिल्ली, पुणे, सूरत, विशाखापटनम के आरएज़ तथा मुंबई और नोएडा के डीजी-सेज के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि फिरती/टीईडी के 65 मामलों में ₹ 9.63 करोड़ (आरएज़ द्वारा ₹ 9.27 करोड़ तथा डीसी-सेज द्वारा ₹ 0.36 करोड़) की राशि का भुगतान बिना वसूली प्रमाण-पत्र/भुगतान प्रमाण-पत्र या ऐसे मामले में जहाँ की गई आपूर्ति पर 90 प्रतिशत भुगतान की वसूली नहीं हुई थी, कर दिया गया। डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में कहा कि आरएज़ जयपुर और कानपुर ने वसूली शुरू कर दी है। आरए, अहमदाबाद ने वसूली की जानकारी दी। आरए, सूरत ने अब वसूली प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है और बाकी आरएज़ ने वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी है।

ड्राबैक का गलत भुगतान

3.51 ड्राबैक मंजूर करने का मूलभूत उद्देश्य निर्माणकर्ता द्वारा उनके निर्यात उत्पादों में प्रयुक्त माल पर लगने वाले आयात/उत्पाद शुल्क खत्म करना है। एचबीपी के पैरा 8.3.6 के अनुसार, "सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क फिरती नियम, 1995 " मान्य निर्यातों के अनुरूप परिवर्तनों के साथ लागू होगें और उपरोक्त अधिनियम के नियम 3(ii) के अनुसार, कोई भी फिरती स्वीकृत नहीं होगी यदि उक्त माल निर्यातित सामान या उत्पाद शुल्क योग्य सामान, जिसके संबंध में शुल्क अदा नहीं किया गया है; का उपयोग करके उत्पादित अथवा निर्मित है।

3.52 अहमदाबाद, राजकोट, सूरत के आरएज़, और सेज कांडला में, 18 मामलों में (आरएज़ में दस मामले और डीसी-सेज में आठ मामले) ₹ 1.63 करोड़ के ड्राबैक का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आपूर्त माल का उत्पादन आयातित सामान या उत्पाद शुल्क योग्य सामान जिसके संबंध में शुल्क अदा नहीं किया गया है, का प्रयोग करके हुआ। डीसी-केएएसईजैड ने आपत्ति को स्वीकार किया और कहा (जून 2012) कि इकाई से वसूली की जाएगी तथा आरए, अहमदाबाद ने सूचित किया (जुलाई 2012) कि पार्टी को आबकारी अधिकारी से सामान की आपूर्ति/प्राप्ति के प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और आरए, राजकोट ने कहा (सितम्बर 2012)

कि लेखापरीक्षां द्वारा बताए गये अतिरिक्त राशि के प्रतिदाय की पार्टी से मांग की गई थी।

आवेदनों के देरी से प्रस्तुतिकरण पर लेट-कट शुल्क का लगाया जाना

3.53 एचबीपी के पैराग्राफ 9.3 में परिकल्पित है कि जहां पर भी ऐसे दावे के लिए आवेदन के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद किसी आवेदन की प्राप्ति होती है, वहां निर्धारित दर पर एक लेट कट लगाने के आवेदन के बाद स्वीकार किया जाएगा। डीजीएफटी ने 30 अगस्त 2007 को यह स्पष्ट किया कि सभी वर्जित, लंबित और अस्वीकृत आवेदन जो जमा करने की निर्धारित तिथि के समाप्त होने से छः महीनों के बाद दाखिल किये थे, परंतु अब वे आवेदन के जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति से 12 महीनों के अंतर्गत है, पर पांच *प्रतिशत* कट के साथ कार्यवाही की जानी चाहिए।

3.54 अहमदाबाद, बैंगलूरू, कोयम्बटुर, गांधीधाम, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुम्बई, नई दिल्ली, पुणे, सूरत, वड़ोदरा, वाराणसी और विशाखापटनम के आरएज़, और मुम्बई, चेन्नई, कांडला और नोयडा के डीसी-सेज अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 134 मामलों (सेज में 19 मामले और आरएज़ में 115 मामले)में डीबीके/टीइडी पर लेटकट शुल्क की राशि ₹ 5.35 करोड़ की राशि की उगाही नहीं की गई थी। डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि आरएज़, सूरत और अहमदाबाद द्वारा लेटकट की राशि वसूली गई है। जयपुर, कोलकाता, पुणे, विशाखापटनम, बैंगलुरू, कोयम्बटुर, हैदराबाद, मुम्बई और नई दिल्ली के आरएज़ द्वारा वसूली प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है।

समय बाधित दावों को अनुमति

3.55 चेन्नई, मुम्बई, नई दिल्ली, पुणे के आरएज़, और डीसी-सेज, फाल्टा के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 3.22 करोड़ की टीईडी राशि का प्रतिदाय समय बाधित दावों के प्रति नौ मामलों (आरएज़ में छः मामलें और सेज में तीन मामलों) में किया गया था। ये दावे, दावों की प्रविष्टियों के लिए स्वीकृत समयावधि के बाद में दाखिल किये गये थे। डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि आरएज़, पुणे और दिल्ली ने वसूली की कार्रवाईयां शुरू कर दी हैं।

गैर-मैगा पावर परियोजनाओं से माल की आपूर्तियां

3.56 15 मार्च 2011 को हुई अपनी बैठक में पीआईसी ने स्पष्ट किया था कि एफटीपी का पैराग्राफ 8.4.4 (iv) यह परिकल्पित करता है कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 8.3 (सी) के अंतर्गत टीईडी के प्रतिदाय का लाभ गैर-मैगा पावर परियोजनाओं को आपूर्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। दिनांक 27 अप्रैल 2011, के पत्र द्वारा डीजीएफटी ने सभी आरएज़ को ऐसे मामलों में वसूली करने की सलाह दी। पीआईसी ने पुनः दोहराया (9 सितम्बर 2011) कि ऐसे सभी मामलों में वसूली की जाएगी। डीओआर ने भी राय दी कि डीजीएफटी को वसूली प्रक्रिया आरंभ करनी होगी।

3.57 उपर्युक्त स्पष्टीकरण के आधार पर विभाग द्वारा टीईडी के प्रतिदाय/डीबीके के दावों की संवीक्षा की गई है और विभिन्न फर्मो से वसूली के लिए मांग पत्र जारी किये जा रहे हैं। आरएज़, बैंगलुरू, हैदराबाद, कानपुर, मुम्बई, नई दिल्ली और पुणे में ऐसे मामलों की जांच से पता चला कि प्रादेशिक अधिकारियों ने लिखित तथा व्यवहारिक रूप में दिनांक 27 अप्रैल 2011 को जारी डीजीएफटी के निर्देशों का पालन नहीं किया। कुछ उदाहरण नीचे दर्शाये गये हैः

3.58 आरए, नई दिल्ली में समीक्षा कार्य मई 2012 तक पूरा नहीं किया गया तब तक आरए ने विभिन्न फर्मों को ₹ 1,361.54 करोड़ की राशि के 269 मांग पत्र जारी किये। जारी मांग पत्रों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 12 मामलों में आरए ने ₹ 17.77 करोड़ की राशि की कम मांग की तथा एक मामले में, ₹ 7.63 करोड़ की अतिरिक्त मांग जारी की। अभी तक किसी भी वसूली की जानकारी नहीं मिली है।

3.59 आरएज़, बैंगलुरू, जयपुर, हैदराबाद, पुणे और कानपुर में, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 95 मामलों में दावेदारों को ₹ 118.25 करोड़ की राशि के डीबीके गैर मैगा पावर परियोजनाओं को माल की आपूर्ति के लिए अदा किये गये। जबकि, केवल कानपुर में ₹ 0.37 करोड़ की राशि वाले एक मामले को छोड़कर अभी तक वसूली की कोई सूचना नहीं मिली।

3.60 15 मार्च 2011 को पीआईसी ने भी स्पष्ट किया कि ईंधन, स्टील और सीमेंट की आपूर्ति, विदेश व्यापारनीति के पैराग्राफ 8.2 (डी) के अंतर्गत दी गई परियोजनाओं की को छोड़कर, मान्य निर्यात लाभों के लिए योग्य नहीं होगी। ऐसे मामलों में डीजीएफटी ने दिनांक 27 अप्रैल 2011 के पत्र द्वारा सभी आरएज को तत्काल वसूली को लागू करने के निर्देश दिए। दिनांक 09 सितम्बर 2011 को पीआईसी ने ये निर्देश फिर से दोहराए।

3.61 आरए, कोलकाता द्वारा 16 मामलों में, पावर परियोजना को सीमेंट और स्टील की आपूर्ति के लिए ₹ 40.66 करोड़ की टीईडी राशि जिसमें ₹ 0.44 करोड़ ब्याज शामिल था, का प्रतिदाय किया गया। आरए ने वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

3.62 आरए, अहमदाबाद ने एफटीपी के पैराग्राफ 8.2 (डी) के अंतर्गत तीन मामलों में, परियोजनाओं को ईंधन की आपूर्ति के लिए ठेकेदार को डीबीके के ब्रांड दर की स्वीकृति दी। हांलाकि, दिनांक 27 अप्रैल 2011 के डीजीएफटी के निर्देशों के अनुसार दी गई ₹ 2.60 करोड़ के अतिरिक्त डीबीके के प्रतिदाय की मांग करते हुए पार्टी को कारण बताओ ज्ञापन (अगस्त 2011) जारी किया गया था। फिर भी, एक वर्ष समाप्त होने के बाद भी अभी तक वसूली नहीं की गई है।

3.63 आरए, हैदराबाद ने गैर-मैगा पावर परियोजनाओं को आपूर्ति के लिए, एक आपूर्तिकर्ता को सीमेंट और स्टील की आपूर्ति के 97 मामलों में ₹ 21.16 करोड़ के टीईडी की स्वीकृति प्रदान की। ये आपूर्तिकर्ता मान्य निर्यात लाभ के योग्य नहीं थे, इसलिए अदा की गई राशि की वसूली की गई।

3.64 डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि आरएज़ वसूली प्रक्रिया आरंभ कर चुके हैं, फिर भी ऐसे वसूली ज्ञापन और पीआईसी के स्पष्टीकरणों के प्रति कई फर्मों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में अपील की हैं।

3.65 लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा न तो लाभार्थियों से राशि वसूलने की समय सीमा तय की गई थी न ही एफटीडी एंड आर अधिनियम के अनुसार उन्हें कारण बताओं ज्ञापन जारी करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया।

टीईडी का प्रतिदाय वहां जहां शुल्क का भार ईपीसीजी/अग्रिम लाईसैंस धारकों को दिया जाता है

3.66 एफटीपी के पैराग्राफ 8.2(सी) के नियमों में ईपीसीजी प्राधिकार के प्रति आपूर्ति को मान्य निर्यात समझा जाएगा। जिसके लिए टीईडी/शुल्क फिरती की अग्रिम प्राधिकार/प्रतिपूर्ति उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11 बी दर्शाती है कि प्रतिदाय केवल उसी निर्धारिती को दिया जाएगा जिसने अपने माल के क्रेताओं पर शुल्क भार नहीं डाला हो; अन्यथा, प्रतिदाय शुल्क संस्वीकृत कर लिया जाएगा और"उपभोक्ता कल्याण कोष" में जमा करा दिया जाएगा।

3.67 चार आरएज़[18] द्वारा स्वीकृत ₹ 4.36 करोड़ के 26 टीईडी प्रतिदायों में, आपूर्तिकर्ताओं ने उन आपूर्तियों पर टीईडी दावा किया (ईपीसीजी/अग्रिम प्राधिकार के प्रति) जिनके लिए आपूर्तिकर्ताओं ने लाइसेंस धारकों से उत्पाद शुल्क (बीआरसीज़ के अनुसार) इकट्ठा किया था और इस प्रकार शुल्क का भार आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वहन नहीं किया गया परन्तु क्रेताओं पर डाल दिया गया था। पूर्वोक्त प्रावधानों के अनुसार, स्वीकृत राशि का भुगतान माल के आपूर्तिकर्ता को करने के बजाय उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कर दिया जाना था।

3.68 डीओसी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि वे मामले की जांच करेंगे। डीजीएफटी ने अपने जवाब में कहा (फरवरी 2013) कि मान्य निर्यात लाभ वास्तव में अदा किये गये शुल्क के आधार पर दिया जाता है। सरकार प्रतिदाय का भुगतान केवल एक बार करती है। इसलिए, इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने मूल्य निर्धारण में शुल्क भाग जोड़ा है या नहीं। अतः संशोधन आवश्यक नहीं समझा जाता। सुविधा के दृष्टिकोण से यह निर्णय आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता को करना है कि प्रतिदाय का दावा कौन करेगा।

3.69 तथ्य यही है कि इन मामलों में मान्य निर्यात का लाभ माल के आपूर्तिकर्ता को दे दिया गया जबकि शुल्क का भार माल के क्रेताओं पर डाल दिया गया जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ प्राप्त हुए जिसने आगे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11बी तथा एचबीपी/एफटीपी के मौजूदा प्रावधानों के बीच अंतर का संकेत दिया।

---

[18] अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा

सिफारिश 5: डीओसी एफटीपी में प्रावधान करने पर विचार करे कि दावेदार द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि उसके द्वारा दूसरों पर शुल्क का भार नहीं डाला गया है।

'रेलवे वैगनों' की आपूर्ति पर टीईडी की अनियमित मंजूरी

3.70 दिनांक 19 दिसम्बर 2008 के डीजीएफटी नीति परिपत्र ने स्पष्ट किया कि रेलवे वैगनों की आपूर्ति की अनुमति ईपीसीजी योजना के अंतर्गत नहीं है और इसलिए ऐसे वैगनों की आपूर्ति पर टीईडी प्रतिदाय एफटीपी के पैराग्राफ 8.2 (सी) के अंतर्गत नहीं है। इसके अतिरिक्त, सेनवैट क्रेडिट नियम 2004 के अंतर्गत परिभाषित पूंजीगत माल में " रेलवे वैगन " शामिल नहीं हैं और इसलिए इनको पूंजीगत माल नहीं माना जा सकता।

3.71 पीआईसी ने 4 सितंबर 2009 को दिनांक 19 दिसंबर 2008 के परिपत्र के प्रावधान में इसे पहले से लागू करने की छूट दी और ऐसे टीईडी प्रतिदाय को मंजूरी दे दी जहां रेलवे वैगनों की आपूर्ति 19 दिसंबर 2008 से पहले शुरू हो चुकी थी।

3.72 आरए, कोलकाता तथा हैदराबाद ने जून 2007 और मार्च 2011 के बीच ईपीसीजी प्राधिकारों के प्रति रेलवे वैगनों की आपूर्ति हेतु ईपीसीजी प्राधिकार धारकों या उनके स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 135.33 करोड़ के टीईडी प्रतिदाय को मंजूरी दी। ये प्राधिकार स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं से की गई अधिप्राप्ति हेतु अमान्य थे। ये वैगन, वैगन निवेश योजना (डब्ल्यूआईएस), वैगन पट्टा योजना (डब्ल्यूएलएस), आदि के अंतर्गत भारतीय रेलवे को पट्टे पर दिये गये थे।

3.73 चूंकि 19 दिसंबर 2008 के परिपत्र में दोहराई गई परिभाषा के अनुसार पूंजीगत माल में 'रेलवे वैगनों' की पुष्टि नहीं होती, अतः आरए, कोलकाता और हैदराबाद द्वारा क्रमशः ₹ 135.34 करोड़ का टीईडी प्रतिदाय सही नहीं था। पीआईसी द्वारा दी गई छूट न तो इस परिपत्र के अनुरूप थी, ना ही सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के अंतर्गत दिये गये पूंजीगत माल की परिभाषा से इसकी पुष्टि हो रही थी।

3.74 *डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि भुगतान पीआरसी के निर्णयानुसार किये गये थे और पीआरसी की सिफारिशों को ध्यान में रखने के बाद एफटीपी के पैराग्राफ 2.5 के अंतर्गत छूट देने का अधिकार डीजीएफटी में निहित है।* डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पीआईसी का निर्णय पूंजीगत माल की परिभाषा के साथ साथ दिनांक 19 दिसंबर 2008 के उनके अपने परिपत्र के अनुरूप नही है।

ईओयूज़ को की गई आपूर्तियों के संबंध में टीईडी का अनियमित प्रतिदाय

3.75 एफटीपी के पैराग्राफ 8.2 (बी) में निबंधित है कि ईओयूज़ को की गई माल की आपूर्ति को मान्य निर्यात के रूप में माना जाएगा और पैराग्राफ 8.3 (ए) से (सी) में उल्लिखित लाभ उन्हें दिए जायेगें बशर्ते कि दावा एचबीपी में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया हो। दिनांक 25 फरवरी 2009 का सीमा शुल्क परिपत्र अनुबंधित

करता है कि दिनांक 31 मार्च 2003 के केंद्रीय उत्पाद शुल्क की अधिसूचना के साथ पठित एचबीपी के पैराग्राफ 6.6.1 में विनिर्दिष्ट माल को सीटी-3 फॉर्म (उत्पाद शुल्क योग्य माल को हटाने हेतु प्रमाण पत्र) के प्रति शुल्क अदायगी के बिना प्राप्त करने हेतु अनुमति दी जाती है। इस प्रकार, सीटी-3 फॉर्मों के प्रति ईओयूज़ को की गई आपूर्तियों पर कोई उत्पाद शुल्क अदा नहीं किया जाना है।

3.76 आरए हैदराबाद में यह पाया गया कि 20 दावों के संबंध में आपूर्ति सीटी-3 फॉर्मों के प्रति की गई थी और ₹ 1.56 करोड़ की टीईडी का प्रतिदाय हुआ था। जैसा कि प्रथम दृष्टया उत्पाद शुल्क के भुगतान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आपूर्तियाँ सीटी-3 के प्रति थी, इसलिए टीईडी का प्रतिदाय सही नहीं था। इसके अलावा, यह देखा गया कि ईओयू ने अपने क्रय आदेश में यह उल्लेख किया था कि शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना था क्योंकि आपूर्तियाँ सीटी-3 के प्रति थी। आपूर्तिकर्ताओं ने अपने बिक्री बीजकों में शुल्क भाग को जोड़ा और फिर इसको काट लिया तथा ईओयू इकाई ने केवल बीजक मूल्य का भुगतान किया; शुल्क भाग का नहीं। यह भी देखा गया कि सभी भुगतान सेनवैट खातों से किए गए और बाद में टीईडी का प्रतिदाय नकद किया गया। इस प्रकार, इकाई अपना सेनवैट खाता भुना रही थी जबकि शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी।

3.77 *डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2013) में बताया कि आपूर्तिकर्ता द्वारा सीटी-3 की छूट का उपयोग करते हुए शुल्क का भुगतान किया गया और इस प्रकार टीईडी का प्रतिदाय सही किया गया थी। डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपूर्तिकर्ता को नए सिरे से शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा अपने सेनवैट खाते को भुनाने के बारे में डीजीएफटी के उत्तर में कुछ नहीं कहा गया था।*

गलत दर लगाने के कारण ड्राबैक/टीईडी का अधिक भुगतान

3.78 कोच्ची, बैंगलुरू, चंडीगढ़, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, मुम्बई, नई दिल्ली और विशाखापटनम के आरएज के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि गलत दर लगाने के कारण 41 मामलों में ₹ 17.61 करोड़ राशि के डीबीके/टीईडी का भुगतान किया गया।

3.79 *डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि कोच्ची, कोलकाता, जयपुर चंडीगढ़ और नई दिल्ली के आरएज़ ने वसूली प्रक्रिया आरंभ कर दी है। आरए, विशाखापटनम और बैंगलुरू पहले ही राशि की वसूली कर चुके हैं।*

उत्पाद शुल्क सहित बीजकों पर अदा की गई टीईडी

3.80 दिनांक 25 सितंबर 2006 को हुई अपनी बैठक में शिकायत समिति ने निर्णय लिया कि टीईडी का प्रतिदाय उन मामलों में मान्य नहीं है जहां बीजक में उत्पाद शुल्क शामिल है। हैदराबाद, मुम्बई, पुदुच्चेरी, कोलकाता और पुणे के आरएज के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 20 मामलों में उत्पाद शुल्क सहित बीजकों के प्रति ₹ 6.07 करोड़ की टीईडी का प्रतिदाय मंजूर किया गया था।

3.81 *डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि मामला यह नहीं है कि बीजक में उत्पाद शुल्क शामिल है या नहीं, अपितु मुख्य बिन्दु यह है कि उत्पाद शुल्क का भुगतान हुआ है या नहीं।* डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944 की धारा 11 बी में अनुबन्धित हैं कि निर्धारिती को प्रतिदाय की मंजूरी केवल तभी होगी अगर उसने अपने माल के क्रेता को भारित शुल्क आगे न दिया हो, अन्यथा देय प्रतिदाय को संस्वीकृत किया जाएगा और 'उपभोक्ता कल्याण कोष' में जमा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी का उत्तर 25 सितम्बर 2006 की शिकायत समिति के निर्णय के अनुरूप भी नहीं था।

आपूर्ति किए गए माल के ईपीसीजी के विवरण के बिना बीजक

3.82 एचबीपी के पैराग्राफ 5.5 के अनुसार एक ईपीसीजी प्राधिकार धारक जो स्वदेशी पूँजीगत माल प्राप्त करना चाहता है, पूजीगत माल के स्त्रोत व्यक्ति के नाम व पते के साथ साथ, प्रत्यक्ष आयात या एआरओ जारी करने के लिए ईपीसीजी प्राधिकार को अवैध करवाने के लिए आरए को निवेदन करेगा।

3.83 आरए, हैदराबाद के टीईडी दावों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि पाँच दावों के संदर्भ में ₹ 2.38 करोड़ के पूर्ण टीईडी प्रतिदाय किए गए हाँलाकि कुल 132 बीजको में से 14 बीजक ईपीसीजी के विवरण के अनुसार सही नहीं थे जिसके फलस्वरूप ₹ 14.22 लाख के टीईडी का अनियमित प्रतिदाय हुआ। आपूर्ति बीजको पर ईपीसीजी विवरणों के पूर्ण समर्थन की कमी से नकली/फर्जी दावों से इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि दावे बीजको की प्रतियो पर भी किए जा सकते थे और इसीलिए अन्य दावों में एक से अधिक बार उपयोग भी किया जा सकता था। इसी प्रकार, आरए विशाखापट्टनम ने ₹ 0.57 लाख के प्रतिदाय किए जिसमें वास्तविक लाईसेंस बिलों में पृष्ठांकित ईपीसीजी लाइसेंस संख्या से मेल नहीं खाता था जिसके आधार पर दावे किए गए थे। इसके अलावा, बिलों में पृष्ठांकित ईपीसीजी लाइसेंस डीजीएफटी विशाखापट्टनम से संबंधित नहीं थे और इसीलिए मंजूरी सही नहीं है। *डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि आरए विशाखापट्टनम ने वसूली कर ली है तथा आरए हैदराबाद ने वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं।*

अवैधीकरण में माल की आपूर्ति का उल्लेख न करना

3.84 हैदराबाद, लुधियाना तथा विशाखापट्टनम के आरएज ने 22 टीईडी दावों के संदर्भ में ₹ 86.58 लाख का प्रतिदाय दिया हालांकि उस अवैधीकरण के साथ आपूर्ति किए गए मद के विवरण का मिलान नहीं हो रहा था। इसे बताए जाने पर *आरएज हैदराबाद तथा विशाखापट्टनम ने उत्तर दिया कि मामलों की पुनः जाँच की जाएगी तथा उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी। आरए लुधियाना ने कहा कि संबंधित ईपीसीजी प्राधिकार को वापिस मंगवाया जा रहा है और पार्टी को परामर्श दिया गया है कि वो आपूर्ति मद के आईटीसी कोड़ को बीजक में दिए गए वर्गीकरण विवरणों अनुसार ठीक करवाएं।*

डीलरों से खरीदे गए एचएसडी पर टीईडी/डीबीके का गलत प्रतिदाय

3.85 एफटीपी का पैरा 6.11 (सी) (iii), घरेलू तेल कम्पनियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के घरेलू तेल के डिपो से प्राप्त ईंधन पर अदा किए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति समय-समय पर डीजीएफटी द्वारा बताई गई फिरती दर के अनुसार स्वीकार करता है। वित्त अधिनियम के तहत ईंधन पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क पर प्रतिपूर्ति भी स्वीकार्य होगी।

3.86 आरए मुम्बई ने नवम्बर 2009 में डीबीके के ₹ 7.20 करोड़ के तीन प्रतिदाय दावे संस्वीकृत किये। दावों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि माल में डीलरों से प्राप्त एचएसडी शामिल था। क्योंकि केवल डिपों/कम्पनियों से सीधे प्राप्त किया गया एचएसडी मान्य निर्यात लाभ योग्य था, डीलरों से प्राप्त एचएसडी पर ₹ 1.60 करोड़ का शुल्क प्रतिदाय योग्य नहीं था। इसके अलावा, दावों की फाइलों में यह देखा गया कि उनमे केवल बीजकों के विवरण थे। बीजकों की समर्थन प्रतियों की अनुपस्थिति में ₹ 7.20 करोड़ के प्रतिदाय दावों की मंजूरी का औचित्य सुनिश्चित नहीं हो सका। *डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि आरए मुम्बई ने फर्म को एससीएन जारी किया है। फर्म ने मुम्बई माननीय उच्च न्यायालय मुम्बई के सम्मुख प्रार्थना याचिका दायर की थी।*

3.87 आरए कोलकाता और डीसी-एफएसईज़ेड, फाल्टा ने ₹12.15 करोड़ के टीईडी प्रतिदाय के 34 मामले (आरए कोलकाता द्वारा दो मामले और डीसी-एसईज़ेड द्वारा 32 मामले) संस्वीकृत किए, जहाँ दावेदारों ने अपने दावों के साथ आरटी12[19]/ईआर1[20] और मूल बीजक प्रस्तुत नही किए थे। इसलिए अपेक्षित दस्तावेजों के बिना टीईडी के प्रतिदाय की संस्वीकृती अनियमित थी और इस प्रकार वसूली योग्य थी। संबंधित आरए और डीसी-एसईज़ेड से उत्तर प्रतीक्षित हैं।

3.88 आरएज़ लुधियाना, चंडीगढ़, मुम्बई, पुणे, कोलकाता, नई दिल्ली, जयपुर, तथा डीसी-एसईजेड-फाल्टा और विशाखापट्टनम में ₹ 2.14 करोड़ के ड्राबैक/टीईडी के अनियमित भुगतान के 32 मामले देखे गए जैसाकि नीचे सारणीबद्ध किया गया हैः

तालिका 3: परिचालनात्मक खराबी के अन्य मामले

आरएज	विवरण	मामले	राशि लाख ₹	आरए का जवाब
लुधियाना	अध्याय शीर्ष के बिना बीजको पर टीईडी प्रतिदाय	2	4.40	अस्वीकृत
लुधियाना तथा चंडीगढ़	बीजकों के बिना टीईडी प्रतिदाय	4	10.40	स्वीकृत
मुम्बई	अधिक टीईडी प्रतिदाय	1	29.99	जवाब प्रतिक्षित

[19] केन्द्रीय उत्पाद नियमों के अन्तर्गत भरी गई रिटर्न

[20] माल के उत्पादन और उन्हे हटाने के लिए मासिक रिटर्न और सेनवैट क्रेडिट

आरएज	विवरण	मामले	राशि लाख ₹	आरए का जवाब
पुणे	ईपीसीजी प्राधिकार की प्रति उपलब्ध नहीं है।	1	9.02	स्वीकृत
कोलकाता	आपूर्त माल की जाच रिर्पोट के बिना डीबीके का भुगतान	8	73.02	जवाब प्रतिक्षित
एफएसईजेड, फाल्टा	गलत वर्गीकरण के कारण टीईडी का अधिक प्रतिदाय	1	6.12	जवाब प्रतिक्षित
नई दिल्ली	व्यापारियों/डीलरों के बीजकों पर टीईडी प्रतिदाय	8	73.30	जवाब प्रतिक्षित
जयपुर	निगरानी में असफलता के कारण अधिक भुगतान	1	1.65	स्वीकृत
एसईजेड-विशाखापट्टनम	मध्यवर्ती माल पर स्वीकृत डीबीके	1	3.17	स्वीकृत
एसईजेड-विशाखापट्टनम	भट्टी का तेल पर टीईडी	5	3.29	स्वीकृत

मान्य निर्यात योजना के कार्यान्वयन से पहले राजस्व प्रभाव का कोई मूल्याकंन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही करवाया गया था। योजना के परिणाम का मूल्याकंन भी उपलब्ध नही था।

योजना विकास तथा निगरानी

3.89 डीओसी के आरएफडी का एक मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ाने के लिए व्यापार वातावरण में सुधार के लिए व्यापार सरलीकरण उपाय लागू करना था। डीओसी ने एफटीपी के अन्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के परिणाम की संवीक्षा को प्राथमिकता नही दी। डीओसी के परिणाम बजट के अनुसार विभाग ने निर्यात सब्सिडी के लिए बजट व्यय के प्रति कोई मात्रात्मक वितरण निर्धारित नही किया था जिसमें मुख्यतः डीबीके, टीईडी के प्रतिदाय और केन्द्रीय बिक्री कर के कारण भुगतान सम्मिलित होते हैं। ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही करवाया गया जो दर्शाता हो कि राजस्व प्रभाव के लिए योजना का मूल्याकंन उसके कार्यान्वयन से पहले किया गया था।

3.90 डीओसी की रणनीतिक योजना के पैराग्राफ 3.1 (XIII) के अनुसार डीओसी के आरएफडी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु डीजीएफटी, एफटीपी के तहत योजनाओं तथा विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं तथा सरकार एवं व्यापारिक समुदाय के बीच की मुख्य कडी है। तदनुसार विभिन्न निर्यात सवंर्धन योजनाओं की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए तथा इन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पुनर्गठित किया जाना चाहिए। किन्तु डीओसी द्वारा योजना की समीक्षा नहीं की गई हैं, अतः उपलब्धियों के दावों की पुष्टि करना आवश्यक है।

3.91 *डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2013) कि उच्च स्तर अन्तर विभागीय समिति द्वारा योजना की व्यापक संवीक्षा की गई थी। योजना की संवीक्षा के लिए 2011 में एक और विभागीय समिति का गठन किया गया था। डीजीएफटी ने यह भी बताया (फरवरी 2013) कि मान्य निर्यात लाभ देश के अन्दर प्रभावित आपूर्तियों के*

लिए दिए जाते है और प्रत्यक्ष निर्यात के लिए नही। अतः इस प्रकार, मान्य निर्यात लाभ और निर्यात संवर्धन के बीच कोई संबंध नही है। इसके विपरित, मान्य निर्यात लाभ का परिणाम विदेशी मुद्रा की बचत है क्योंकि धरेलू उत्पादक विशिष्ट वर्गों के लिए आपूर्ति करने में सक्षम है। चूंकि धरेलू उत्पादको को शुल्क प्रतिदाय दिए जाते हैं, यह निश्चित रूप से घरेलू उद्योग को मजबूत और उनके करों को निष्प्रभावी करते हैं। मान्य निर्यात योजना के अन्तर्गत घरेलू उत्पादकों को वापिस किए गए वास्तविक शुल्क/करों को निष्प्रभावी की गई राशि, डीजीएफटी के पास उपलब्ध है।

3.92 डीजीएफटी का उत्तर भ्रामक है क्योंकि 1999 में गठित की गई समिति को मान्य निर्यात लाभ प्रदान करने की वास्तविक मंशा और औचित्य और लाभ लेने के लिए मानदण्ड इत्यादि देखना था और 2011 में गठित समिति को अभी अपनी सिफरिशे देनी थी, इसके साथ ही डीजीएफटी का उत्तर डीओसी की निष्पादन नीति और योजना को लागू करने से पहले प्रभाव के अनुसार एफटीपी योजनाओं के मूल्याकंन के परिणाम के मुद्दे से भी बचता है।

3.93 लेखापरीक्षा द्वारा मान्य निर्यात फिरती योजना की समीक्षा से पता चला कि योजना में कमियाँ हैं। इसके कार्यान्वयन की बारीक निगरानी करने तथा आन्तरिक नियत्रंण व्यवस्था और आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सशक्त करने की आवश्यकता है।

सिफारिश सं 6ः मान्य निर्यात योजना लागू करने से पूर्व, डीओसी को अपनी निष्पादन नीति के अनुसार, योजना की प्रभावोत्पादकता का नतीजा मूल्यांकन एवं आयात प्रतिस्थापन, करों को निष्प्रभावी करने तथा लाभर्थियों को उपार्जित वित्तीय लाभ क राजस्व आंकलन की जरूरत है।

ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी यूनिटों को केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति

ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों को केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति

अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1 एसटीपीआईज़ को एसटीपी/ईएचटीपी योजना के कार्यान्वयन, संरचनात्मक ढांचे के निर्माण एवं प्रबंधन तथा तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के अंतर्गत, संचार और सूचना तकनीकी मंत्रालय, डीईआईटीवाई, के तहत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में 5 जून 1991 को स्थापित और पंजीकृत किया गया था।

1.2 एफटीपी (2004-09 और 2009-14) के पैराग्राफ 6.11(सी) (i) के अनुसार ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी ईकाईयाँ माल/सेवाओं के उत्पादन के लिए डीटीए से की गई खरीदारियों पर उनके द्वारा दिए गए सीएसटी के प्रतिदाय के हकदार हैं। डीटीए द्वारा ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों को की गई आपूर्तियों का उपयोग इकाईयों द्वारा माल/सेवा निर्यात (डीटीए में अनुमत बिक्री के अलावा) के उत्पादन के लिए अवश्य किया जाना चाहिए। एचबीपी, खंड I, में वर्णित पद्धति के अनुसार ईकाई को सीएसटी को प्रतिपूर्ति के लिए अपना दावा क्षेत्रधिकारी निदेशक, एसटीपीआई को, एसटीपी/ईएचटीपी से की गई आपूर्तियों के लिए ईओयू को की गई आपूर्तियों के लिए क्षेत्रधिकारी डीसी-सेज़ को प्रस्तुत करना होगा।

1.3 ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी ईकाईयों को सीएसटी की प्रतिपूर्ति एचबीपी के परिशिष्ट -14-1 -1 में वर्णित पद्धति के अनुसार डीईआईटीवाई और डीओसी के मनोनित अधिकारियों द्वारा (ईओयू इकाईयों के मामले में क्षेत्राधिकारी डीसी-सेज़ द्वारा) की जाती है।

1.4 **चार्ट 4: डीईआईटीवाई का संगठन**

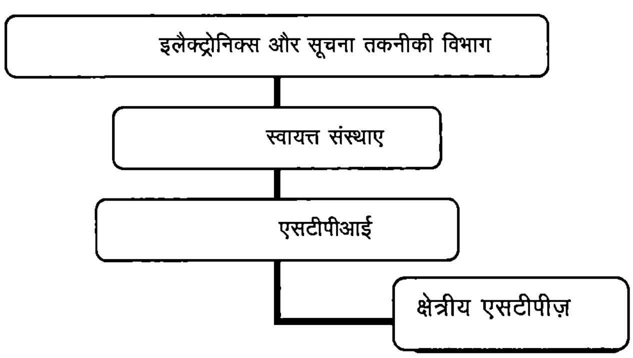

1.5 एसटीपी/ईएचटीपी योजनाओं के अंतर्गत इकाईयों को स्थापित करने के लिए डीईआईटीवाई और अन्तर मंत्रालय स्थाई समिति (आईएमएससी) द्वारा मनोनीत अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक है।

1.6 अन्य बातों से साथ-साथ डीईआईटीवाई के उद्देश्य, ई-सर्विसेज़ प्रदान करके और इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर में निर्माण और टायर II और टायर III स्थिति में एसटीपीआई केन्द्रों द्वारा आईटी-आईटीईएस उद्योग स्थापित करके और इसके आरएफडी 2012-13

के अनुसार एसटीपी/डीईआईटीवाई योजनाओं की निष्पादन समीक्षा करके ई-इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। इसकी आरएफडी में अनिवार्य सफलता सूचकों में से वित्तीय उत्तरदायित्व संरचना के अनुपालन को सुनिश्चित करना है।

1.7 सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए दावों को निपटाते समय एसटीपी/ईएचटीपी के मनोनीत अधिकारियों ने यह जांच की है कि ईकाईयों द्वारा माल/सेवाओं के उत्पादन के लिए की गई खरीदारियां करना आवश्यक हैं। एसटीपीआई मुख्यालय एसटीपीआई केन्द्र द्वारा सीएसटी की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य के लिए आबंटित बजट में से निधि देने के लिए डीईआईटीवाईको सीएसटी दावों की राशि के साथ लाभार्थियों की केन्द्रवार समेकित सूची प्रस्तुत करता है। इसके बाद डीईआईटीवाई का कार्यक्रम डिवीजन सचिव के अनुमोदन और डीईआईटीवाईके एकीकृत वित्तीय डिवीजन की सहमति के लिए मांग पर कार्य करता है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

1.8 सीएसटी की प्रतिपूर्ति की निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य निम्नवत को सुनिश्चित करना हैः

- क. योजना के प्रबंधन के लिए आन्तरिक नियंत्रण कार्यविधियों और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभाविकता;
- ख. राजस्व की हानि या सीएसटी के अनियमित और गलत प्रतिदाय के प्रति सुरक्षा के वर्तमान प्रावधानों का अनुपालन;
- ग. केवल योग्य आवेदनकर्ताओं को प्रतिपूर्ति;
- घ. योजनाओं का परिणाम निर्धारण;

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कवरेज

1.9 हमने एफटीपी 2004-09 और 2009-14 में निर्धारित सीएसटी के प्रतिदाय के दावे के लिए और डीईआईटीवाई के अपने आरएफडी, रणनीति और निष्कर्ष रिपोर्टिंग के अनुसार योजना की निगरानी करने के लिए मंत्रालय आंतरिक नियंत्रण कार्यविधियों और विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा और क्षेत्रीय संरचनाओं की प्रणाली की पात्रता, मापदण्ड, प्रक्रिया की जांच की। 2007-08 और 2010-11 के दौरान ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी को सीएसटी के प्रतिदाय के मामलों की लेखापरीक्षा मार्च 2012 से जून 2012 के दौरान देशभर में स्थित डीईआईटीवाई और डीओसी के क्षेत्रीय कार्यालयों में की गई।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

1.10 लेखापरीक्षा का प्रबंधन सीएजी के लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन ढाँचे, 2009, व्यावसायिक लेखापरीक्षा मानक दूसरा संस्करण, 2002 लागू करके तथा निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2004 के अनुसार किया गया था।

लेखापरीक्षा नमूना

1.11 लेखापरीक्षा ने देश भर में स्थित डीसी-सेज़ों और एसटीपीज़ में से सात सेज़ों[20] और आठ सेजों में से छः एसटीपीज़[21] और 10 एसटीपीज़ के क्षेत्रीय कार्यालयों के नमूनों की संख्या की सीएसटी प्रतिदाय के मामलों की संवीक्षा की। इन सात सेज़ों में 2007-08 से 2010-11 के दौरान 15,406 मामलों में ₹ 992 करोड़ राशि के सीएसटी की प्रतिपूर्ति की गई थी, जिनमें ₹ 687 करोड़ के 6,068 मामलों की संवीक्षा की गई । इसी तरह, छह एसटीपीज़ में, ₹ 57 करोड़ के प्रतिदाय के 443 दावे किए गए, इन मामलों में से ₹ 34 करोड़ के 246 मामले लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चुने गए। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए नमूना डीईआईटीवाईऔर डीओसी की क्षेत्रीय संरचनाओं में लेन-देन की मात्रा के आधार पर स्तरीकृत अनियमित नमूना लेने का उपयोग करके जैसाकि नीचे सारणीबद्ध किया गया है, चुना गया थाः

तालिका 4: स्तरीकृत नमूना

श्रेणी	लेखापरीक्षा के लिए चयनित गए मामले
₹ 50 लाख और उससे ऊपर के दावे	100 प्रतिशत
₹ 50 लाख से नीचे के दावे	50 प्रतिशत

[20] कोचीन, चेन्नई, काण्डला, मुम्बई, नोएडा, कोलकाता और विशाखापट्टनम

[21] मुम्बई, बैंगलुरू, गांधीनगर, नोएडा, भुवनेश्वर और कोलकाता

अध्याय 2 : लेखापरीक्षा निष्कर्ष और सिफारिशें

सीएसटी के प्रतिदाय पर कर खर्च को छोड़े गए राजस्व के विवरण में शामिल नहीं किया गया था। विलंबित भुगतानों पर ब्याज के लिए लेखों के कोई पृथक शीर्ष नहीं थे।

2.1 एसटीपी/ईएचटीपीज़ पर कर खर्च डीईआईटीवाई के अंतर्गत मुख्य शीर्ष '3453-विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन; 800 अन्य व्यय; 18 विभागीय रूप से किए गए व्यय; 00.50 अन्य प्रभार' के अधीन किए गए, जबकि ईओयू को प्रतिपूर्ति के लिए व्यय को डीओसी के मुख्य शीर्ष -3453- विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन -194- निर्यात संवर्धन और बाजार विकास (लघु शीर्ष) के लिए सहायता-03-निर्यात संवर्धन और बाजार विकास संगठन हेतु सहायता -00-33 सहायता राशि से पूरा किया गया। वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 के दौरान बज़ट आवंटन और डीईआईटीवाई और डीओसी द्वारा व्यय नीचे दिए गए हैं:

तालिका 5 मुख्य शीर्ष 3453 के अंतर्गत बजट आबंटन

₹ करोड़

वर्ष		ब.अ.*	स.अ.*	वास्तविक**	विनियोजन लेखों के अनुसार वास्तविक	विभागानुसार बचत/अधिकता
वि.व. 08	ईओयू/सेज़	581.10	581.10	575.36	#	5.74 (ब)
	डीईआईटीवाई	3.10	13.10	13.10	13.10	शून्य
वि.व. 09	ईओयू/सेज़	551.63	551.63	525.76	#	25.87 (ब)
	डीईआईटीवाई	3.10	2.95	2.95	शून्य	0.15 (ब)
वि.व. 10	ईओयू/सेज़	312.78	312.78	281.52	#	31.26 (ब)
	डीईआईटीवाई	3.10	शून्य	शून्य	0.36	--
वि.व. 11	ईओयू/सेज़	316.51	316.51	310.86	#	5.65 (ब)
	डीईआईटीवाई	3.10	63.70	51.61	63.64	--

* वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 के लिए केन्द्र सरकार के व्यय बजट के अनुसार

** डीओसी और डीईआईटीवाई द्वारा प्रस्तुत आंकडे, डीओसी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ो में डीबीके भुगतान के व्यय भी शामिल हैं।

2.2 डीओसी और डीईआईटीवाईद्वारा बचत के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। विभाग द्वारा सूचित वास्तविक व्यय और सरकार के विनियोग लेखा में सूचित व्यय में अन्तर था। डीओसी और डीईआईटीवाई दोनों का वास्तविक खर्च कोई प्रवृति उजागर नहीं करता क्योंकि डीओसी द्वारा किया गया कर व्यय मुख्य शीर्ष 3453 के अंतर्गत किए गए कुल खर्च के अंदर छिपा है। बजट प्रस्तावों के पूर्व बजट विश्लेषणों के माध्यम से भिन्नताओं को दर्शाने के लिए कोई उपयुक्त व्याख्या नहीं दी गई।

2.3 एफआरबीएम की अपेक्षा है कि सार्वजनिक हित में राजकोषीय कार्य और अनुदानों हेतु मांग की वार्षिक वित्तीय विवरण की तैयारी में कम से कम गोपनीयता रखने के लिए और अनुदानों के लिए मांग की पूर्ण स्पष्टता को सुनिश्चित करने हेतु

सही उपाय केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने चाहिए। सरकार ने प्राप्ति बजट 2006-07 के बाद केन्द्रीय कर प्रणाली शुल्क के अंतर्गत मुख्य कर व्यय के आंकलन दर्शाना शुरू कर दिया। केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत छोड़े गए राजस्व का विवरण संघ सरकार के प्राप्ति बजट के विवरण में केन्द्रीय कर प्रणाली को नहीं दर्शाता। वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 की चार वर्ष की अवधि के दौरान, डीओसी और डीईआईटीवाई ने इस योजना के अंतर्गत आपूर्तिकर्त्ताओं को ₹ 1,049 करोड़ की प्रतिपूर्ति की। संघ सरकार के प्राप्ति बजट के विवरण में केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत छोड़े गए राजस्व के विवरण सीएसटी छूट नहीं दर्शाते।

2.4 निर्यात योजनाओं के उद्देश्यों में से एक आयात प्रतिस्थापन में मदद करना है, तथापि संघ सरकार के सीएसटी पर व्यय के विश्लेषण की आयातों पर लगाई गई विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी)[23] की तुलना से पता चला कि सीएसटी वित्तीय वर्ष 01 में ₹ 8,371 करोड़ से वित्तीय वर्ष 11 में ₹ 19,230 करोड़ तक 9.87 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, इसी प्रकार, एसएडी संग्रह में भी वित्तीय वर्ष 01 में ₹ 2,442 करोड़ से वित्तीय वर्ष 11 में 58.99 प्रतिशत की वार्षिक दर से जैसा परिशिष्ट डी में दर्शाया गया है ₹ 18,288 करोड़ की वृद्धि हुई। एसएडी से सीएसटी का दशकीय औसत अनुपात में वित्तीय वर्ष 02 में 28.62 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 11 में 95.10 प्रतिशत तक की उच्च वृद्धि की प्रवृति के साथ 0.20 प्रतिशत के बीच रहा।

2.5 लेखापरीक्षा में पाया गया कि दावेदारों को सीएसटी की प्रतिपूर्ति पर लाभ के देरी से किए गए भुगतान के लिए डीओसी द्वारा दिया गया ब्याज मुख्य शीर्ष -3453-विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन से दिया गया था। डीओसी के बजट अनुदान के तहत ब्याज के लिए कोई लेखा शीर्ष या ब्याज भुगतान के अंतर्गत शीर्ष के रूप में संचालित नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार, डीईआईटीवाईभी ब्याज भुगतान के अंतर्गत पृथक उपशीर्ष का संचालन नहीं कर रहा था।

डीईआईटीवाईऔर डीओसी की आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

कमजोर आंतरिक नियंत्रण कार्यविधियां और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

2.6 एचबीपी खंड II के परिशिष्ट 14-1-1 के पैराग्राफ 3 (xi) के अनुसार सीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए सभी दावों की पश्च लेखापरीक्षा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, डीसी-सेज़/निदेशक, एसटीपीआई के कार्यालयों को सीएसटी प्रतिदाय के उद्देश्य के लिए दावा प्राप्ति रजिस्टर, चैक भुगतान रजिस्टर, मासिक तकनीकी रिपोर्टें और पश्च लेखापरीक्षा रजिस्टर आदि बनाने चाहिएँ।

---

[23] बिक्री कर, वैट, स्थानीय कर अन्य प्रतिभार से सभी निर्यातित माल पर विशिष्ट अतिरिक्त शुल्क उदग्राहय है।

2.7 2007-08 से 2010-11 की अवधि के अभिलेखों की जांच पर, हमने पाया कि किसी भी कार्यालय द्वारा, जहां समीक्षा की गई थी, आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई/पश्च लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना नहीं की गई है। सीएसटी प्रतिदाय के मामलों में औचक जांच या पश्च लेखापरीक्षा जांच केवल कोचीन में की गई थी जहां 2006-07 तक यह पूरी की जा चुकी है और 2007-08 की अवधि के लिए प्रक्रियाधीन है। सीएसटी प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया का किसी भी स्थान पर कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया है।

विभाग दावेदारों द्वारा की गई घोषणाओं पर निर्भर करता है और वहां दावों की सत्यता की जांच करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। *अपने उत्तर में डीईआईटीवाईने कहा (फरवरी 2013) कि एसटीपीआई को दावा प्राप्ति रजिस्टर, चैक भुगतान रजिस्टर, मासिक तकनीकी रिपोर्ट और एक आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना तथा औचक जांच के लिए एफटीपी का पालन करने की सलाह दी जा रही है।*

सिफारिश 1: डीईआईटीवाई और डीओसी की आंतरिक नियंत्रण कार्य विधियों तथा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को इसके आरएफडी उद्देश्यों के अनुसार कुशल बजटिंग, लेखांकन, भुगतान और आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है। बजट अनुमान, निधि आवंटन और मांग के उपयोग की गहन निगरानी की आवश्यकता है।

प्रतिपूर्ति प्रक्रिया में कुछ कमियां थी।

डीओसी द्वारा सीएसटी की प्रतिपूर्ति में विलम्ब के लिए ब्याज का भुगतान

2.8 एफटीपी के पैराग्राफ 6.11 (सी) (i) में प्रावधान है कि प्रतिपूर्ति/प्रतिदाय के संबंध में सीएसटी के प्रतिदाय में विलम्ब के कारण छः प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज देय था जो 1 अप्रैल 2007 तक या उसके बाद देय हो गया था लेकिन जिसे प्राधिकारी द्वारा भुगतान के लिए उनके अन्तिम अनुमोदन के 30 दिनों के अन्दर निपटाया नहीं गया था। सीएसटी प्रतिपूर्ति की प्राप्ति के 90 दिनों के अन्दर ब्याज के लिए दावे दाखिल किए जाने थे। यह प्रावधान दिनांक 6 अगस्त, 2008 के पीएन द्वारा संशोधित किया गया था, जिससे 30 दिन की अवधि की गणना पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से होगी एवं सीएसटी दावे के विलम्बित भुगतान के कारण ब्याज, यदि कोई है, तो इसके लिए आवेदन किये बिना ही, मुख्य दावे के साथ भुगतान किया जाना है।

2.9 सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदनों का निपटान करते समय, यह जाँच करने के बाद कि आपूर्ति किया गया माल इकाईओं द्वारा माल के उत्पादन के लिए आवश्यक था, एसटीपीआई मुख्यालय सीएसटी दावों के साथ (केन्द्र-वार) लाभार्थियों की समेकित सूची एसटीपीआई को विभिन्न एसटीपीआई केन्द्रों द्वारा एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों को सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए जो बजट आबंटित है, से निधि जारी करने के लिए डीईआईटीवाई को प्रस्तुत करता है। डीईआईटीवाई के अनुसार, एसटीपीआई से सभी प्रतिपूर्ति दावों की पहले परीक्षा डिवीजन एवं उसके बाद वित्त डिवीजन द्वारा दो स्तरीय जाँच किए जाने की आशा की जाती है। जबकि, डीओसी में, सीसीए/पीएओ डीसी-सेज़ों द्वारा किये गए व्यय की निगरानी करता है। संबंधित डीडीओज भी सीपीएओ, डीओसी को दर्ज व्यय की सूचना भेजते हैं।

2.10 कोचीन, मुम्बई, चेन्नै, कोलकाता एवं नोयडा में स्थित सेज़ों एवं गाँधीनगर, नोयडा, कोलकाता तथा बैंगलोर में स्थित एसटीपीज के अभिलेखों की जाँच के दौरान सीएसटी के प्रतिदाय के कुल 15,849 दावों की मंजूरी दी गई। समीक्षाकृत 6314 मामलों में से 2,409 (37 प्रतिशत) मामलों में विलम्ब देखा गया। डीसी-सेज द्वारा 542 मामलों में ₹ 29.92 लाख के ब्याज का भुगतान किया गया एवं शेष 1178 मामलों (890 मामले सेज़ों में एवं 288 मामले एसटीपीआई में) में, ₹ 8.02 करोड़ (₹ 0.60 लाख एवं ₹ 7.44 करोड़ सेज़ों एवं एसटीपीआईज़ के संबंध में क्रमशः) का ब्याज देय था, इसका ना तो दावेदारों द्वारा दावा किया गया था और न ही विभाग द्वारा स्वयं से भुगतान किया गया था। यह विलम्ब मुख्यतः एसटीपीआई मुख्यालय से निधियों के विलम्बित निर्गमन के कारण है।

2.11 यद्यपि आवेदनों के अनुबंधित समय में निपटान के लिए एचबीपी खंड I में प्रावधान विद्यमान है, लेखापरीक्षा ने सीएसटी दावों के प्रतिदाय का निपटान करने में अपर्याप्त विलम्ब देखा जिससे विलम्बित प्रतिपूर्ति के लिए ब्याज का भुगतान किया गया। इस प्रकार, ब्याज के भुगतान को कम करने के लिए सीएसटी के प्रतिदाय की समूची प्रक्रिया को एक सार करने की आवश्यकता है।

2.12 *डीओसी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि समय सीमा एफटीपी के अन्तर्गत निर्धारित की गई है और इसकी सख्ती से अनुपालना की आवश्यकता है। डीईआईटीवाई ने टिप्पणी को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2013) कि समयसीमा का पालन महत्त्वपूर्ण है। एसटीपीआई को समय-समय पर दावों की जाँच एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए निधि की आवश्यकता को जानने के लिए केन्द्रों के साथ समन्वय की आवश्यकता है। भुगतानों को समय पर करने के लिए डीजीएफटी द्वारा मध्यवर्ती समय सीमाएँ निर्धारित की जा सकती हैं।*

सिफारिश 2: डीओसी तथा डीईआईटीवाई को विलम्बों पर किसी ब्याज के भुगतान से बचने के लिए काउंटर सहायता के साथ-साथ मध्यवर्ती उपायों के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

प्रक्रियागत कमी के कारण सीएसटी का गलत प्रतिदाय हुआ।

आयातित माल की आपूर्ति पर सीएसटी का प्रतिदाय

2.13 एफटीपी के पैराग्राफ 6.11(सी)(i) के अनुसार, ईओयूज़/ईएचटीपीज़/एसटीपीज़ भारत में निर्मित माल पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार हैं। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ईओयू/ईएचटीपीज़/एसटीपीज़ के बॉन्डेड परिसर में लाए गए माल के लिए "सी " फार्म के प्रति सीएसटी की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए, किए गए आवेदन पर यह सूचना नहीं होती कि वह डीटीए में निर्मित था या आयातित, माल के उद्भव के देश, टैरिफ संख्या इत्यादि और बीजकों की प्रतियाँ आवेदन के साथ अनिवार्य नहीं हैं एवं ना ही विभाग के पास दावे की उपयुक्तता की जाँच के लिए कोई तन्त्र है।

2.14 डीसी-सेज, कोचीन, मुम्बई, फालटा, गाँधीधाम एवं निदेशक, एसटीपीआई, मुम्बई एवं कोलकाता के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 104 मामलों में, डीलरों से खरीदे गए आयातित माल पर भुगतान की गई सीएसटी की भी प्रतिपूर्ति की गई थी।

इस संबंध में किया गया अनियमित प्रतिदाय ₹ 62.29 लाख (₹ 34.69 सेज़ों द्वारा एवं ₹ 27.60 लाख एसटीपीआईज़ द्वारा) तक ।

2.15 जब लेखापरीक्षा ने इंगित किया, डीसी-केएएसईजेड, गांधीधाम ने निष्कर्ष को स्वीकार किया और उत्तर दिया (जून 2012) कि संबंधित ईकाई से वसूली की जाएगी। दूसरों से उत्तर प्रतीक्षित हैं। डीईआईटीवाई ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि एसटीपीआई द्वारा आगामी कार्रवाई के लिए माल के मूल की मांग की गई है।

अनुचित प्राधिकारी द्वारा सीएसटी की स्वीकृति

2.16 एचबीपी के परिशिष्ट 14-1-1 के पैराग्राफ 3.1 के साथ पठित एफटीपी के पैराग्राफ 6.11(सी) (i) के अनुसार, ईओयूज भारत में निर्मित माल पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगी और इकाई सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए अपना दावा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित डीसी-सेज या ईएचटीपी/एसटीपी के नामित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगी।

2.17 लेखापरीक्षा में देखा गया कि डीसी-एमईपीजेड, चेन्नै ने एक ईओयू, बैंगलुरू को सीएसटी की प्रतिपूर्ति के प्रति ₹ 0.30 करोड़ की प्रतिपूर्ति की। चूँकि ईओयू डीसी, सेज, कोचीन के प्रशासनिक नियंत्रक के अन्तर्गत बैंगलुरू में स्थित है और तदनुसार, डीसी, सेज, कोचीन इकाई द्वारा की गई खरीद के लिए सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए उपयुक्त अधिकारी है। यद्यपि, दावे को संस्वीकृत करते समय, डीसी सेज, कोचीन, द्वारा इसकी सत्यता की जाँच के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए कि कही वैसा ही दावा उनको भी तो प्रस्तुत नहीं किया गया था।

घरेलू निकासी के लिए माल पर सीएसटी का प्रतिदाय

2.18 एफटीपी के पैराग्राफ 6.11(सी) के अनुसार, एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयाँ माल के उत्पादन के लिए डीटीए से की गई खरीद पर सीएसटी के पूर्ण प्रतिदाय की हकदार हैं। एचबीपी के परिशिष्ट 14-1-1 के खण्ड 2(ए) की शर्तों में, प्रतिपूर्ति इस शर्त के साथ है कि डीटीए से की गई आपूर्तियाँ ईओयू द्वारा निर्यात के लिए बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए और/अथवा निर्यात उत्पादों के लिए प्रयोग की जानी चाहिए। यद्यपि, निर्यात का प्रावधान संशोधित तिथि 16 दिसम्बर 2008 तक हटा दिया गया है। अतः 16 सितम्बर 2008 से पहले, सीएसटी की प्रतिपूर्ति निर्यात के लिए माल के उत्पादन में प्रयुक्त माल पर भुगतान की गई सीएसटी तक ही सीमित थीं।

2.19 डीसी-सेज़ों, फालटा, कान्दला, मुम्बई, कोच्चि, चेन्नै एवं एसटीपीआईज, नोयडा एवं बैंगलौर के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि उन मामलों की आपूर्तियों में सीएसटी की प्रतिपूर्ति की गई थी जो या तो घरेलू बिक्री के साथ-साथ निर्यात के लिए बने माल के निर्माण में प्रयुक्त की गई थी अथवा निर्यातित माल के निर्माण के लिए प्रासंगिक नहीं थी। पाये गये मामले नीचे दर्शाये गए हैं:

क. सितम्बर 2008 से पहले, डीसी-सेज, कान्दला द्वारा संस्वीकृत किये गए सीएसटी प्रतिपूर्ति के 56 मामलों में माल की पूरी खरीद पर सीएसटी प्रतिपूर्ति दी गई थी जोकि निर्यात के लिए बने माल के उत्पादन के साथ-साथ डीटीए में निकासी के लिए प्रयुक्त हुआ था। अतः डीटीए निकासी में प्रयुक्त माल पर ₹

6.78 करोड़ की सीएसटी प्रतिपूर्ति अनियमित थी। *इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा (जून 2012) कि मामला पहले से ही उपयुक्त स्पष्टीकरण के लिए डीओसी को भेजा जा चुका है।*

ख. डीसी-एफसेज़ के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाली एक ईओयू, ने अपने विनिर्मित माल के निर्यात के अलावा नियमित डीटीए बिक्रियाँ की थी। उन आपूर्तियों में से जिन पर जून 2008 तक सीएसटी प्रतिपूर्ति का दावा किया गया था, जबकि, प्रतिपूर्ति आनुपातिक रूप से निर्यात में उनके प्रयोग तक सीमित नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 24.41 लाख के अधिक सीएसटी की प्रतिपूर्ति हुई।

ग. एसटीपीआई, बैंगलोर में 2003-04 से 2008-09 के बीच 23 मामलों में, प्रतिपूर्तियाँ सीएसटी निर्यात एवं डीटीए बिक्रियों दोनों को ध्यान में रख कर की गई थीं। बिक्री उत्पादों में प्रयुक्त माल पर सीएसटी का आनुपात ₹ 3.11 करोड़ तक बनता था, जिसकी वसूली की जानी चाहिए ।

घ. डीसा-एसईईपीजेड, मुम्बई के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 63 ईओयूज़ ने 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान डीटीए बिक्रियों के संबंध में तैयार माल के उत्पादन में प्रयोग की गई सामग्री के लिए ₹ 18.70 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी। इसी प्रकार, डीसी-सीसेज़ और एसटीपीआई चेन्नै द्वारा 73 ईओयूज (240 दावे) के लिए डीटीए बिक्रियों हेतु माल की उत्पादकता के लिए प्रयुक्त ₹ 6.23 करोड़ की (₹ 3.79 करोड़ एसटीपीआईज़ एवं ₹ 2.44 करोड़ सेज़ों द्वारा) सामग्री की प्रतिपूर्ति की गई।

आवेदनों के विलम्बित प्रस्तुतीकरण पर डीईआईटीवाई/डीओसी द्वारा लेट कट लागू करना

2.20 एचबीपी के परिशिष्ट 14-1-1 के अनुसार, प्रतिपूर्ति का दावा करने वाला आवेदन तिमाही, जिसमें दावा उत्पन्न हुआ है, के पूरा होने की तिथि से छः माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब भी आवेदन ऐसे आवेदन के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद प्राप्त होता है, इस पर एचबीपी के पैराग्राफ 9.3 में निर्धारित दर पर लेट कट लगाने के बाद विचार किया जाए।

2.21 सेज, कोचीन, मुम्बई, फाल्टा, नोएडा, कान्दला एवं निदेशक एसटीपीआई, भुवनेश्वर, बैंगलौर एवं नोयडा की सीएसटी दावा फाईलों की समीक्षा करने पर लेखापरीक्षा ने देखा कि 132 दावों में आवेदन के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब था, परन्तु प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन को स्वीकार करते समय लेट कट फीस या तो लगाई ही नहीं गई थी अथवा गलत दर लागू की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.20 करोड़ (₹ 25 लाख सेजज द्वारा एवं ₹ 95 लाख एसटीपीआईज द्वारा) का अधिक भुगतान हुआ था। इसी प्रकार, डीसा-एफसेज ने 14 मामलों में, समय बाधित दावों के प्रति ₹ 5.46 लाख की राशि के सीएसटी की प्रतिपूर्ति की थी। *डीईआईटीवाई ने निष्कर्ष को स्वीकार किया*

एवं कहा (फरवरी 2013) कि इन एसटीपीआईज को एसटीपीआई इकाईयों से राशि की वसूली के निर्देश दिए गए हैं।

ईओयू को सीएसटी की अनियमित प्रतिपूर्ति

2.22 एचबीपी के परिशिष्ट 14-1-1 के अनुसार, डीटीए से ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी इकाईयों को की गई आपूर्तियाँ इकाईयों द्वारा उन माल/सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग की जानी चाहिए जिनपर वास्तविक रूप से सीएसटी का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह निर्धारित किया गया है कि डीसी अथवा ईएचटीपी/एसटीपी का नामित अधिकारी अन्य बातों के साथ यह भी देखे कि खरीद इकाईयों द्वारा माल/सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदन में (अनुबंध । की क्रम सं. 3(ए) एवं (बी)) यह पुष्टि भी होनी आवश्यक है कि क्या इकाई के पास सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन की तिथि को वैध अनुमोदन पत्र है।

2.23 कोयम्बटूर में डीसी-सेज की क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक ईओयू को मई 2008 के दौरान ईओयू की योजना से "इन प्रिंसिपल एक्जिट" प्रदान की गई थी। ग्रीन कार्ड, जोकि इकाई द्वारा माल के आयात एवं खरीद को मान्य करता है, भी जनवरी 2009 तक ही वैध था। हाँलाकि ईकाई को गलती से जनवरी 2009 के बाद की गई खरीद पर ₹ 0.22 करोड़ के राशि की सीएसटी की प्रतिपूर्ति प्रदान की गई, जिसकी ब्याज सहित वसूली आवश्यक है।

2.24 डीओसी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि जो संभवतः आयातित माल पर सीएसटी के अनियमित एवं प्रतिदाय को अनुमति देती है, ऐसी किसी भी कमी को दूर करने के लिए प्रक्रिया की अधिक से अधिक विस्तार से जाँच की जाएगी ।

सिफारिश 3: डीओसी और डीईआईटीवाई द्वारा प्रणाली के साथ -साथ आयातित माल पर सीएसटी के गलत प्रतिदायों को रोकने की पद्धति में अपर्याप्तता को समाप्त करने की आवश्यकता है।

सीए द्वारा गलत प्रमाणीकरण के बाद डीटीए द्वारा की गई आपूर्तियों पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गई।

ईओयू/सेज इकाईयों से खरीदे गए माल पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति

2.25 एचबीपी के परिशिष्ट 14-1-1 के पैराग्राफ 2 के साथ पठित एफटीपी के पैराग्राफ 6.11(सी) (i) के अनुसार, ईओयूज भारत में निर्मित माल पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति के हकदार होगें। इसके अतिरिक्त, ईओयू इकाईयाँ योजना के अन्तर्गत माल एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए, डीटीए से की गई खरीद पर उनके द्वारा भुगतान की गई सीएसटी की पूरी प्रतिपूर्ति के हकदार होगें।

2.26 डीसी-सेजों, चेन्नै, गाँधीधाम, मुम्बई एवं कोचीन द्वारा सीएसटी की प्रतिपूर्ति से संबंधित मामलों की फाइलों की जाँच से पता चला कि दूसरी ईओयूज अथवा सेज़ इकाई से एवं ना कि डीटीए में एक इकाई से की गई खरीद पर 22 ईओयूज़ के (47 मामलों) का ₹ 2.38 करोड़ की राशि के सीएसटी की प्रतिपूर्ति की गई थी।लेखापरीक्षा

में यह भी देखा गया कि सभी दावों में सनदी लेखाकार का निर्धारित प्रमाणपत्र इस बात के लिए प्राप्त किया गया कि उपरोक्त इकाई द्वारा मूल बीजक बिलों के प्रति प्राप्त किए गए माल के संबंध में डीटीए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया था तथा भुगतान साधारण बैंकिंग चैनल के द्वारा किए गए थे एवं डीटीए आपूर्तिकर्ताओं, के खातों में डलवाए गए थे। तथ्यात्मक रूप से गलत प्रमाण पत्रों की स्वीकृति डीसीज़ द्वारा निगरानी में अपर्याप्तता को उद्घाटित करता है।

2.27 इसी प्रकार, सात मामलों में, तीन दावेदारों द्वारा प्रस्तुत किए गए सीएसटी दावे, एसईईपीजेड़, मुम्बई ने, दावों के साथ प्रस्तुत सीए के गलत प्रमाणपत्र के प्रति ₹ 3.18 करोड़ के सीएसटी की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी। चार मामलों में सीए ने प्रमाणित किया था कि "तालिका में दर्शाये गये सभी मद ईओयू योजना के प्रावधान के अंतर्गत सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार्य 'नहीं' हैं" और शेष तीन दावों में सीए ने यह प्रमाणित नहीं किया था कि "तालिका में दर्शाये गये सभी मद ईओयू योजना के प्रावधान के अन्तर्गत सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार्य हैं" ।

सीए के उचित प्रमाणपत्र के बिना सीएसटी की प्रतिपूर्ति

2.28 एचबीपी के परिशिष्ट 14-1-1 के पैराग्राफ (v) के उप-पैराग्राफ (ए) के अन्तर्गत सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावे के साथ संलग्न सनदी लेखाकार के प्रमाण पत्र को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करना चाहिएः

क. जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पूर्वोत्तर की एएनआई और लक्षद्वीप राज्यों में, सीए फर्म कम से कम एकल स्वामित्व वाली फर्म जो एक एफसीए हो, होनी चाहिए और फर्म के साथ पूर्ण रूप से जुड़ी हो और सांझेदार सीए फर्म के लिए फर्म के पास कम से कम दो फुल टाइम पार्टनर हों, जिनमें से एक एफसीए होना चाहिए।

ख. दूसरे क्षेत्रों में स्थित ईकाईयों के मामलें में सांझेदार सीए फर्म के पास एक फुल टाईम पार्टनर होना चाहिए, जो कि एफसीए हो।

2.29 डीसी-एफएसईजेड में सीएसटी दावों के साथ प्रस्तुत सीए के प्रमाण-पत्र के 54 मामले में उपरोक्त उल्लेखित (ए) क्षेत्रों के अलावा संबंधित क्षेत्रों के मामले में यह देखा गया कि ₹ 3.79 करोड़ के प्रमाण पत्रों की सीएसटी सम्मिलित सीएसटी प्रतिपूर्ति राशि या तो स्वामित्व फर्म या सहायक सनदी लेखाकार द्वारा जारी किए गए थे।यद्यपि फरवरी 2010 में डीजीएफटी द्वारा भारत के सनदी लेखाकार संस्थान आईसीएआई की वेबसाइट से प्रमाणित सीए फार्मों की स्थिति की पुष्टि के लिए अनुदेश जारी किए गए थे दो मामलों में प्रमाणित करने वाली सीए फॉर्मे आईसीएई के साथ पंजीकृत थी। अन्य तीन मामलों में, एसटीपीआई कोलकाता ने उपरोक्त वर्णित "ए" क्षेत्रों के अलावा संबंधित क्षेत्रों से 2.28 लाख राशि की सीएसटी की प्रतिपूतर्ति की। दावों के साथ संलग्न सीए प्रमाण पत्र स्वामित्व फर्मों से जारी किए गए थे। डीईआईटीवाई ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार किए।

सी फार्म को अस्वीकृत किए बिना सीएसटी प्रतिपूर्ति दिया जाना

2.30 एचबीपी के परिशिष्ट 14-1-1 के पैराग्राफ (V)(बी) के अनुसार, सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए यूनिट द्वारा दावा में आपूर्तिकर्ता को ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी द्वारा जारी किए गए फॉर्म सी की फोटो प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाना है। सी फॉर्म काउंटर फाइल "रद्द केवल सीएसटी की प्रतिपूर्ति हेतु" जैसे उपर्युक्त पृष्ठाकन करने के बाद इकाई को वापिस किए जाएगें। मदें जिनके लिए प्रतिपूर्ति की गई, रद्द के रूप में अंकित की जानी चाहिए और फोटो प्रति संबंधित फाईल में रखने के लिए कार्यालय द्वारा रखी जानी चाहिए । फॉर्म सी की दोबारा प्रयोग किए जाने की स्थिति में सत्यापन स्वयं सत्यापित फोटो प्रतियों से संवीक्षा के समय किया जा सकता है। जिस पर मूल रूप प्रस्तुत किया गया है फर्म को उस फाईल की संख्या अवश्य दिखानी चाहिए।

क. डीसी, एसईईपीजेड, मुम्बई के छः मामलों में ₹9.75 करोड़ की सीएसटी प्रतिपूर्ति सी फार्म के काउंटर फाईल रद्दीकरण/ पृष्ठांकन के बिना की गई थी। इसी प्रकार डीसी, एफएसईजेड ने 70 मामलों में ₹3.12 करोड़ की सीएसटी की प्रतिपूर्ति "सी" फॉर्मों की प्रति रद्द/ पृष्ठांकित नहीं किए बिना की गई ।

ख. डीसी-वीएसईजेड ने 10 मामलों में ₹1.04 करोड़ की प्रतिपूर्ति "सी" फार्म की प्रति रद्द अथवा पृष्ठाकिंत किए बिना की। विभाग ने निष्कर्ष को स्वीकार किया तथा भविष्य में अनुपालना हेतु नोट किया।

ग. डीसी, एफएसईजेड के कार्यालय में₹21.69 लाख की सीएसटी प्रतिपूर्ति राशि के अन्य 15 मामलों में, न तो सी फॉर्म की मूल प्रति की फोटो कॉपी और न ही रद्द फॉर्म "सी" की काउंटर की रद्द प्रति, सीएसटी काउंटर फाईल में उपलब्ध थी, यह ऊपर चर्चा किए गए प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों उसी सी-फार्म के प्रति सीएसटी प्रतिपूर्ति की दोहरी मंजूरी की संभावना थी।

2.31 डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2013) कि सीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु भारत में निर्माण की शर्ते आवश्यक नहीं है क्योंकि सीएसटी प्रतिपूर्ति मान्य निर्यात श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आती हैं। ईओयूएस/एसटीपी/ईएचटीपीएम/बीटीपीएस हेतु एक विशेष व्यस्था प्रदान की जाती है। यदि ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी/बीटीपीएस द्वारा खरीदा गया माल एक राज्य से दूसरे राज्य में पास हो जाता है और माल की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति हेतु ऐसे सीएसटी व्यय किये जाते है तो सीएसटी प्रतिपूर्ति करनी पड़ती है। डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2013) कि सीएसटी वापसी केवल तभी प्रदान की जाती है यदि यह वास्तविक में अदा की जाती है।

2.32 डीएफजीटी तथा डीओसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि पैरा 6.11 (सी) (i) अनुबंधित करता है कि ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी ईकाइयाँ भारत में निर्मित वस्तुओं पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति की हकदार हैं।

सिफारिश 4 : परिशिष्ट 14-1-1 में अभ्यर्थियों द्वारा एक विशिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त प्रावधान सम्मिलित किया जाए कि प्राप्त माल वास्तव में भारत में निर्मित हुआ था और किसी ईओयू या एसईजेड इकाई से आयातित/स्रोत से नहीं लिया गया था।

खराब परिचालन के अन्य मामले

2.33 एसईजेड गांधीधाम, कोचीन विशाखापटनम, कोलकाता, बैंगलूरू और एसटीपीआई गांधीनगर और कोलकता में ₹6.56 करोड़ की सीमा तक की सीएसटी की अनियमित प्रतिपूर्ति के 198 मामले ध्यान में लाए गये थे जैसा कि नीचे सारणीबद्ध किया गया है। डीईआईटीवाई ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2013) कि एसटीपीआई ने अनियमिताओं की जाँच करने के लिए एक आन्तरिक नियंत्रण यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

सारणी 6 खराब परिचालन के अन्य मामले

एसईजेड/एसटीपीआई	विवरण	मामलें	राशि लाख ₹	विभागीय उत्तर
एसईजेड, कोचीन	सीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र में माल निर्दिष्ट नहीं किया गया	45	74.08	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड कोचीन	नियत अवधि के बाद प्राप्त दावे	2	25.29	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड कोचीन	पूरी/ वास्तविक अदायगी से पूर्व सीएसटी प्रतिपूर्ति	46	34.73	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड कोचीन	सामान्य बैंकिग चैनल के माध्यम से की गई नॉन रूटिंग अदायगी	5	3.74	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड कोचीन	पूरक दावे निर्धारित फॉर्म में नहीं थे।	12	34.52	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड गांधीधाम	सीएसटी प्रतिपूर्ति की गई अदायगी की बजाए आपूर्ति के आधार पर की गई	5	62.63	स्वीकृत नहीं है
एसईजेड गांधीधाम	अयोग्य माल पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति	1	92.29	स्वीकृत
एसईजेड विशाखापट्टनम	पूरी/वास्तविक अदायगी से पहले की गई सीएसटी प्रतिपूर्ति	24	229.30	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड विशाखापट्टनम	अन्तर्राज्यीय बिक्री पर सीएसटी	8	6.57	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड विशाखापट्टनम	सीएसटी प्रतिपूर्ति से पट्टा किराया राशि की वसूली न होना।	1	4.50	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड फाल्टा	भिन्न-भिन्न अवधियों से संबंधित सीएसटी दावे की प्रतिपूर्ति	22	4.82	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड, फाल्टा	माल का बिक्री कर पंजीकरण में शामिल न होना	17	7.87	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड, फाल्टा	माल का 'सी' फॉर्म में उल्लेखित न होना	1	21.00	उत्तर अपेक्षित है
डीसी बैंगलूरू	सी फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया	1	50.09	उत्तर अपेक्षित है
एसटीपीआई गांधीनगर	'सी' फार्म प्रस्तुत नहीं किया गया	3	0.49	उत्तर अपेक्षित है
एसटीपीआई कोलकाता	माल का सीएसटी पंजीकरण प्रमाण में निर्दिष्ट नहीं होना	5	3.84	उत्तर अपेक्षित है
कुल		198	655.76	

सीएसटी योजना की प्रतिपूर्ति के कार्यान्वयन से पूर्व कोई राजस्व आकलन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। योजना के आंकलन के परिणाम उपलब्ध नहीं थे।

योजना विकास एवं निगरानी

2.34 एफटीपी के पैराग्राफ 6.20 के अनुसार , ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों के निष्पादन की एचबीपी खण्ड-। के परिशिष्ट 14-। -जी में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार इकाई अनुमोदन समिति द्वारा निगरानी की जाएगी। डीईआईटीवाई के आरएफडी दस्तावेज में लक्ष्य स्पष्ट नहीं था तथा इसकी सफलता के संकेतक एसटीपीआई की स्थापना के मूल उद्देश्य तथा एसटीपी/ ईएचटीपी योजना की निष्पादन समीक्षा हेतु किए गए थे। विशिष्ट क्रियाओं के परिणाम/प्रभाव रेखांकित नहीं किए गए। यह बताने के लिए कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था कि योजना ने अपने कार्यान्वयन से पूर्व अपने राजस्व प्रभाव आकलन किया था। उसी प्रकार, योजना के परिणाम का आकलन एवं रिपोर्ट नहीं की गई थी।

2.35 हमारी सभी टिप्पणियों को स्वीकार ने के दौरान डीईआईटीवाई ने बताया (फरवरी 2013) कि आरएफडी लक्ष्यों में विभिन्न प्रदेय हेतु आरएफडी लक्ष्य निर्धारित है और उसी प्रकार से समीक्षा की गई। हालांकि, इस निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष इशारा करते हैं कि योजना की प्रभावकारिता और प्रभावशीलता की निगरानी करने के लिए विभाग द्वारा समीक्षा नहीं की गई थी तथा योजना में त्रुटियां है। इसका कार्यान्वयन सुस्त है और आन्तरिक नियंत्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति ढीली हैं।

सिफारिशः 5 डीईआईटीवाई को योजना के कार्यान्वयन, आयात प्रतिस्थापन, करों के निष्प्रभावन पद्धतियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली और लाभार्थियों आदि को प्राप्त वित्तीय लाभों इत्यादि से पहले किए गए अपने निष्पादन की रणनीति अथवा राजस्व प्रभाव के निर्धारण के संबंध में योजना के प्रभाव के परिणाम को आंकलन करने की आवश्यकता है।

(नीलोत्पल गोस्वामी)
प्रधान निदेशक (सीमा)

नई दिल्ली
दिनांक 01 मई 2013

प्रतिहस्ताक्षर

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 01 मई 2013

अनुबन्ध

अनुबंध क

वि. वर्ष 08 से वि.वर्ष 11 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत छोड़ा गया कुल शुल्क

क्र.सं.	योजना का नाम	छोड़ा गया शुल्क				(₹ करोड़)
		वि.वर्ष 08	वि0 वर्ष 09	वि. वर्ष 10	वि. वर्ष 11	कुल
1	अग्रिम लाइसेंस	17928.00	17654.00	12389.00	19355.28	**67326.28**
2	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)	2194.00	1804.00	2324.00	8630.16	**14952.16**
3	ईओयू/ईएचटी/एसपीटी	14386.00	18978.00	13401.00	8579.87	**55344.87**
4	**निर्यात संवर्धन पूंजीगत योजना (ईपीसीजी)**	9152.00	10521.00	7833.00	10621.24	**38127.24**
5	**शुल्क फिरती (डीबीके)**	**3236.00**	12116.00	9219.00	8859.00	**33430.00**
6	**शुल्क हकदारी पासबुक योजना (डीईपीवी)**	4842.00	5341.00	7092.00	8756.55	**26031.55**
7	**शुल्क मुक्त पुनःपूर्ति प्रमाण पत्र (डीएफआरसी)**	845.00	607.00	111.00	43.53	**1606.53**
8	**स्थितिधारक की शुल्क मुक्त हकदारी क्रेडिट प्रमाण पत्र (डीएफईसीसी)**	1416.00	740.00	418.00	156.39	**2730.39**
9	**टारगेट (टीपीएस) प्लस योजनाएं**	2619.00	923.00	1220.00	373.99	**5135.99**
10	**विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई)**	**548.00**	538.00	2059.00	1788.48	**4933.48**
11	**भारत सेवा योजना से सेवाकृत (एसएफआईएस)**	444.00	642.00	531.00	542.18	**2159.18**
12	**शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए) योजनाएं**	699.00	1359.00	1268.00	1403.99	**4729.99**
13	**फोकस मार्केट योजना**		41.00	408.00	548.12	**997.12**
14	फोकस उत्पाद योजना				1209.46	**1209.46**
15	मान्य निर्यात	1587.00	2384.00	1528.00	2180.00	**7679.00**
	कुल	**59891.00**	**73648.00**	**59801.00**	**73048.24**	**266393.20**

स्रोतः प्राप्ति बजट एवं सीबीईसी

अनुबंध क 1

संघ प्राप्ति बजट के अनुसार वि.वर्ष 08 से वि.वर्ष 11 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं पर छोड़ा गया शुल्क

योजना का नाम सं	छोड़ा गया शुल्क				(₹ करोड़)
	वि.वर्ष 08	वि. वर्ष 09	वि. वर्ष 10	वि. वर्ष 11	कुल
अग्रिम लाइसेंस	17928.00	17654.00	12389.00	19355.28	**67326.23**
विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)	2194.00	1804.00	2324.00	8630.16	**14952.16**
ईओयू/ईएचटी/एटीपी	14386.00	18978.00	13401.00	8579.87	**55344.87**
निर्यात संवर्धन पूंजीगत योजना (ईपीसीजी)	9152.00	10521.00	7833.00	10621.24	**38127.24**
शुल्क हकदारी पास बुक योजना (डीईपीजी)	4842.00	5341.00	7092.00	8756.55	**26031.55**
शुल्क मुक्त् पुनपूर्ति प्रमाण पत्र (डीएफआरसी)	845.00	607.00	111.00	43.53	**1606.53**
स्थिति धारक के शुल्क मुक्त हकदारी क्रेडिट प्रमाणपत्र (डीएफईसीसी) योजना	1416.00	740.00	418.00	156.39	**2730.39**
टारगेट प्लस योजनाएं (टीपीएस)	2619.00	923.00	1220.00	373.99	**5135.99**
विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वाईकेजीयूवाई)	548.00	538.00	2059.00	1788.48	**4933.48**
भारत सेवा योजना से सेवाकृत (एसएफआईएस)	444.00	642.00	531.00	542.18	**2159.18**
शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए) योजनाएं	699.00	1359.00	1268.00	1403.99	**4729.99**
फोक्स मार्केट/ उत्पाद योजना	-	41.00	408.00	1757.50	**2206.50**
कुल	**55073.00**	**59148.00**	**49054.00**	**62009.16**	**225284.20**

स्रोतःसंघ सरकार का प्राप्ति बजट

अनुबंध ख

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ की तुलना में सीमा शुल्क प्राप्तियों की अतिरिक्त शुल्क

₹ करोड़

	वि.व.01	वि.व.02	वि.व.03	वि.व.04	वि.व.05	वि.व.06	वि.व.07	वि.व.08	वि.व.09	वि.व.10	वि.व.11
उत्पाद शुल्क	72555	82310	90774	99125	111226	117613	123611	108613	102991	132000	138372
सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	16582	14409	15936	16368	22110	29750	38035	46935	46015	33435	51065
उत्पाद शुल्क के % के रूप में सीवीडी	22.85	17.51	17.56	16.51	19.88	25.29	30.77	43.21	44.68	25.33	36.90

सीवीडी का औसत : 27% 16.51% (वि.व. 04) से 44.68 (वि.व.09) के बीच

सीवीडी का मध्य मूल्यः 25%

(iii) माडल मूल्यः25%

रेंजः 28.17%

वार्षिक विकास का औसतः 8.1%

दस वर्षीय औद्योगिक विकास का औसत 8%

अनुबंध ग

क. अग्रिम प्राधिकार के प्रति माल की आपूर्ति/वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार/ शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डीएफआईए);

ख. ईओयूज अथवा एसटीपीज अथवा ईएचटीपीज अथवा वायो टैक्नीकल पार्क (बीटीपीज़) को माल की आपूर्ति;

ग. निर्यात संवर्धन पूजीगत माल (प्राधिकारधारकों) हेतु पूंजीगत माल की आपूर्ति;

घ. जहाँ कानूनी करार सीमाशुल्क जोड़े बिना ही निविदा मूल्यांकन हेतु अनुमति देते हैं उन एजेन्सियों/निधियों के प्रावधानों के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक बोली (आईसीबी) के अधीन वित्त मंत्रालय (एमओएफ), डीईए द्वारा अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंन्सियों/ निधियों द्वारा वित्पोषित परियोजना को माल की आपूर्ति।

ड. विदेश में निर्मित माल के लिए आपूर्ति शुल्क प्रदत्त (डीडीपी) मूल्यों के आधार पर आमंत्रित मूल्यांकित की गई निविदाओं वाली एजेंसियों/निधियों के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग द्वारा आईसीबी के अन्तर्गत डीईए द्वारा अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/निधियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को माल अथवा उपस्कर (टर्नकी ठेके में एकल दायित्व) की आपूर्ति एवं स्थापना।

च. उर्वरक संयन्त्रों में वाणिज्यिक उत्पादन के स्तर पर पहुंचने तक के लिए असंकलित/अलग किए गए की स्थित सहित पूंजीगत माल के साथ ही साथ संयंत्रों, कलपुर्जों, सहायक कलपुर्जों, औजारों डाइयों तथा स्थापना करने के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त वस्तुओं की आपूर्ति, एफओआर मूल्य के 10% तक के पुर्जे;

छ. जिन परियोजना अथवा उद्देश्य के लिए वित्त मंत्रालय ने अधिसूचित द्वारा माल को शून्य सीमाशुल्क पर अलग करने की अनुमति दी हुई हो उसके लिए माल की आपूर्ति की गई।

ज. एफटीपी के पैराग्राफ् 8.2 (एफ) में शामिल नहीं की गई बिजली परियोजनाएं अथवा रिफाइनरियाँ;

झ. 100% ईओयू द्वारा मैरिन फ्राइट कंटेनर की आपूर्ति(घरेलू फ्राइट कन्टेनर बिनियमिता) बशर्ते उक्त कन्टेनर छ महीने की अवधि अथवा सीमाशुल्क द्वारा अनुमत अग्रिम अवधि के भीतर भारत के बाहर निर्यात कर दिए जाएँ;

ट. संरा. संघ की एजेंन्सियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु आपूर्ति; तथा

ठ. आईसीबी (अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक बोली) के विरूद्ध प्रतियोगितात्मक बोली के माध्यम से परमाणु बिजली योजनाओं को माल की आपूर्ति।

एफटीपी के पैराग्राफों 8.2(डी),(ई), (एफ) तथा (जी) के तहत मान्य निर्यात के लाभ केवल तभी मिलेगें यदि आपूर्ति आईसीबी की पद्धति के अधीन की जाए। हालाँकि, बिजली की बहुत बड़ी परियोजनाओं के बारे में आईसीबी के अपेक्षा अति आवश्यक नहीं होगी यदि बिजली की वांछित मात्रा को प्रतियोगितात्मक बोली आधारित शुल्क से निर्धारित किया गया है अथवा परियोजना शुल्क आधारित प्रतियोगितात्मक बोली द्वारा जारी की गई है।

अनुबंध घ
केन्द्रीय बिक्री कर और सीमा शुल्क प्राप्तियों का विशेष अतिरिक्त शुल्क

(₹ करोड़ में)

	वि.व.01	वि.व.02	वि.व.03	वि.व.04	वि.व.05	वि.व.06	वि.व.07	वि.व.08	वि.व.09	वि.व.10	वि.व.11
सीएसटी	8371	11424	11730	10457	13037	13968	16200	18613	18389	17048	19230
एसएडी	2442	3269	लागू नही	3595	4083	लागू नही	लागू नही	10595	13165	14095	18288
सीएसटी के % के रूप में एसएडी	29.17	28.62	लागू नही	34.38	31.32	लागू नही	लागू नही	56.92	71.59	82.68	95.10

सीएसटीः {(वि.व.11-वि.व.01)/वि.व.01}* 100=129.72 सीएसटी का औसत दस वर्षीय विकास =129.72/11=11.79

एसएडीः {(वि.व.11-वि.व. 01/वि.व. 01) }* 100=648.89 एसएडी का औसत दस वर्षीय विकास =648.89/11=58.99

औसत= 47.75%

रेंज= वि.व. 11 में 95.10-वि.व. 02 में 28.62= 66.48

सीएसटी/एसएडी अनुपात में औसत वार्षिक विकास=(वि.व.11-वि.व.01)/11×वि.व.01 =0.20

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in